Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
कौशल विकास और
उद्यमिता मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन
2015-2016

विषय सूची

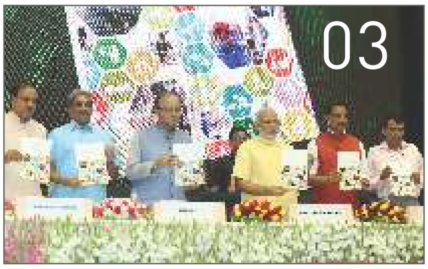

05
परिचय
1.1. मंत्रालय
1.2. कार्य आवंटन नियमावली
1.3. बजट आवंटन

09
भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य
2.1. भारत में कौशलीकरण की चुनौतियां और उद्यमशीलता परिदृश्य
2.2 सभी सेक्टरों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता

15
मंत्रालय का नीतिगत अंत:क्षेपण
3.1. राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015
3.2. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
3.3. सामान्य मानदण्ड

19
मंत्रालय के प्रमुख संस्थान
4.1. प्रशिक्षण महानिदेशालय
4.2. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
4.3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
4.4. सेक्टर कौशल परिषदें
4.5. राष्ट्रीय कौशल विकास निधि
4.6. राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
4.7. भारतीय उद्यमशीलता संस्थान

39
जारी स्कीमें और पहलें
5.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
5.2. उडान
5.3. शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
5.4. शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम
5.5. कौशल विकास पहल स्कीम
5.6. शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम
5.7. आईटीआई उन्नयन स्कीमें
5.8. सुदूर शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
5.9. अन्य केंद्रीय मंत्रालय स्कीमें
5.10. बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एमएसटीआई) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
5.11. राष्ट्रीय कौशल आकलन एवं प्रमाणन बोर्ड
5.12. विश्व बैंक सहायता-एसटीईपीपी तथा स्ट्राईव
5.13. प्रशिक्षण महानिदेशालय परिदृश्य में पहलें

51
अंतर्राष्ट्रीय आबद्धताएं

55
संगठनात्मक ब्योरे

61
अनुबंध
8.1. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की कौशल विकास स्कीमें
8.2. 2015-16 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

परिचय

फरवरी, 2016 में मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्ताह में कुशल भारत पेवेलियन

1. परिचय

1.1 मंत्रालय की स्थापना और कौशल विकास में इसकी भूमिका

देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता से संबंधित प्रयास अब तक बहुत बिखरे हुए रहे हैं। विकसित देशों, जहां कुशल कार्यबल की प्रतिशतता कुल कार्यबल का 60 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच है, के विपरित भारत का कार्यबल का स्तर औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ सबसे नीचे 4.69 प्रतिशत है। देश में उद्योग की आवश्यकता के अनुकूल और यहां के लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से पुनर्गठित करने की आवश्कयता है।

आज देश भारत सरकार के 18 से अधिक मंत्रालय/विभाग 40 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) चला रहे हैं (संदर्भ के लिए स्कीमों की सूची अनुबंध-। पर है)। तथापि, प्रशिक्षण अवसंरचना की क्षमता और गूणवत्ता तथा निष्पादन में अंतराल है, कार्यबल की आकांक्षाओं पर अपर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, प्रमाणन और सामान्य मानदंड का अभाव है तथा असंगठित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का स्पष्ट अभाव है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों के प्रयासों को तेजी से समन्वित करने की आवश्यकता और अतिशीघ्रता को समझते हुए भारत सरकार ने 31 जुलाई, 2014 को कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के निर्माण को अधिसूचित किया। आगे चल कर इस विभाग का स्तर बढ़ाकर 09 नवंबर, 2014

ब्यूटी थेरेपी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवार

1.2 कार्य आवंटन

1.2.1 समुचित कौशल विकास ढांचा विकसित करने, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच विषमता को दूर करने, कौशल का सतर बढ़ाने, नया कौशल निर्मित करने, नवोन्मेषी सोच और बुद्धिमता न केवल मौजूदा जॉब के लिए, बल्कि सृजित किए जाने वाले जॉब के लिए भी, सभी संबंधितों के साथ समन्वय करेगी।

1.2.2 मौजूदा कौशल और उनके प्रमाणन का पता लगाना

1.2.3 शिक्षिक संस्थाओं, व्यापार और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी करके युवा उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार तथा इसके लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।

1.2.4 कौशल विकास से संबंधित समन्वय की भूमिका

1.2.5 महत्वपूर्ण सेक्टरों में बाजार अनुसंधान करना और प्रशिक्षण पाठ्यचर्या की खोज करना

1.2.6 उद्योग-संस्थान संपर्क

1.2.7 इस कार्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी तत्व को लाना - ऐसे उद्योगों के साथ भागीदारी जिन्हें कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है

1.2.8 बाजार के आवश्यकता और कौशल विकास के संबंध में सभी अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए विस्तृत नितियां बनाना

1.2.9 सॉफ्ट कौशलों के लिए नीतियां तैयार करना

वार्षिक प्रतिवेदन

1.2.10 कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यापक कौशल विकास

1.2.11 कौशल सेटों की शैक्षिक तुल्यता

1.2.12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित कार्य

1.2.13 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

1.2.14 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

1.2.15 राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास

1.2.16 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता विकास हेतु कौशलीकरण

1.2.17 राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा

1.2.18 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी

1.3 बजट आवंटन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मंत्रालय को आवंटित योजना तथा गैर-योजना बजट आवंटन का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय												
												(करोड़ रु. में)
	बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय 2015-16 (Feb 2016)			बजट अनुमान 2016-17		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
एमएसडीई	1500.00	43.46	1543.46	1000.00	37.59	1037.59	500.00	31.27	531.27	1400.00	41.00	1441.00
डीजीटी	380.41	59.95	440.36	252.00	56.39	308.39	114.97	51.58	166.55	300.00	63.28	363.28
कुल	**1880.41**	**103.41**	**1983.82**	**1252.00**	**93.98**	**1345.98**	**614.97**	**82.85**	**697.82**	**1700.00**	**104.28**	**1804.28**

टिप्पणी: बजट अनुमान 2015-16 और संशोधित अनुमान 2015-16 में प्रशिक्षण महानिदेशालय सचिवालय की राशि सम्मिलित नहीं की गई है।

प्रशिक्षण केंद्र में उम्मीदवारों को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है

भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य

फेब्रिकेशन फिटिंग तथा वेल्डिंग

2. भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य

2.1 भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में चुनौतियां

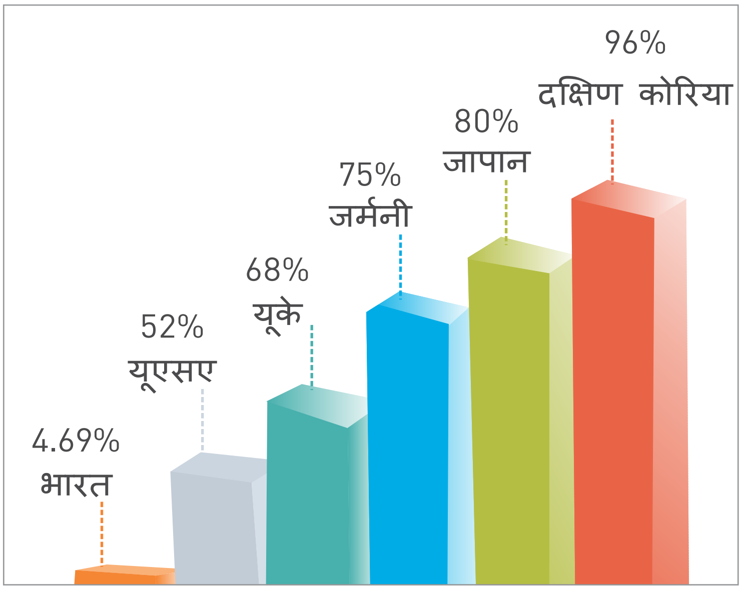

कौशल और ज्ञान, किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होती हैं। कौशल उच्च स्तर और बेहतर मानक वाले देश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। तथापि, देश के लिए आगे बड़ी चुनौती है क्योंकि यह आकलन किया गया है कि भारत में कुल कार्यबल का केवल 4.69 प्रतिशत[1] ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण लिया है, जबकि यूके में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत है, यूएसए में 52 प्रतिशत है, जापान में 80 प्रतिशत है और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है। यद्यपि, चुनौतियों की ठीक-ठीक मात्रा पर बहस जारी है, तथापि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि वास्वत में यह विकट समानुपात[2] की चुनौती है।

देश में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में अनेक चुनौतियां हैं, उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

2.1.1 लोक अवधारणा यह है कि वह कौशलीकरण को अंतिम विकल्प के रूप में देखती हैं और उसके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने औपचारिक शैक्षिक प्रणाली में/का विकल्प चुनने में समर्थ नहीं रहे हैं।

2.1.2 केंद्रीय सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम, 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों में फैले हुए है और उनमें कोई सुदृढ़ समन्वय तथा अभिसरण सुनिश्चित करने का कोई निगरानी तंत्र नहीं हैं।

2.1.3 मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली में बहुलता जिससे असंगत परिणाम होते है और नियोक्ताओं में भ्रम पैदा करते हैं।

2.1.4 प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग से व्यवसायियों को आकर्षित करने की अयोग्यता

2.1.5 सेक्टरीय और भौगोलिक स्तरों पर मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल न होना

2.1.6 कुशल और उच्च शिक्षा कार्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित अभिगम

2.1.7 बहुत कम अभिसरण, घटिया डिजाइन के शिक्षुता कार्यक्रम, उद्योग-संपर्क का अभाव

2.1.8 सीमित और प्राय: अप्रचलित कौशल पाठ्यचर्या

2.1.9 महिलाओं की श्रमिक बल भागीदारी दर में कमी

2.1.10 प्रधान गैर-कृषि, असंगठित क्षेत्र का रोजगार, जिससे उत्पादकता कम होती है किंतु कौशलीकरण के लिए कोई ईनाम नहीं

2.1.11 औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को शामिल न करना

2.1.12 'स्टार्ट-अप' के लिए मेंटरशिप और वित्त के लिए पर्याप्त पहुंच का अभाव

2.1.13 नवीनता प्रेरित उद्यमशीलता पर पर्याप्त बल न देना

---

[1]कार्य योग्यआयु जनसंख्या के लिए एनएसएसओ (68 वां दौर) 2011-12 से औपचारिक कौशलीकरण डाटा पर आधारित बर्हिवेशन

[2]स्रोत: ग्लोबल एजुकेशन डायजेस्ट, यूनेस्को, 2012; एजुकेशन एट ए ग्लांस रिपोर्ट, ओइसीडी, 2014, एनएसडीसी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, 05 जुलाई, 2014, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12

2.2 सभी सेक्टरों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (2013-22)

2.2.1 मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता रिपोर्टे, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) प्रारंभ की गई थी। इन कौशल अंतराल रिपोर्टों का उद्देश्य 24 उच्च प्राथमिकता वाले सेक्टरों में 2013-17 और 2017-22 के बीच वर्धमान कौशल आवश्यकता की सेक्टरीय और भौगोलिक फैलाव को समझने के लिए है।

2.2.2 इस अनुसंधान में कौशल परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर सेक्टर का ब्योरे-वार विहंगावलोकन किया गया है, कौशल के लिए मांग का मूल्यांकन किया गया है, मुख्य जॉब रोल को रेखांकित किया गया है, उपलब्ध आपूर्ति पक्ष की अवसंरचना की पहचान की गई है, और प्रणाली के अंदर स्टेकहोल्डरों के लिए किए जाने वाले कार्य की संस्तुतियों के बारे में सुझाव दिया गया है। यह अध्ययन उद्योग, प्रशिक्षण प्रदाता, प्रशिक्षार्थी, सेक्टर कौशल परिषद और सरकार सहित मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत प्राथमिक इंटरैक्शन के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन के लिए 1000 उद्योग विशेषज्ञों, 500 जॉब रोलों और 1500+ प्रशिक्षार्थियों को नियोजित किया गया है।

2.2.3 इन अध्ययनों के आधार पर यह आकलन किया गया है कि इन 24 सेक्टरों में 2022 तक वर्धमान 109.7 मिलियन कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, जहां टॉप टेन सेक्टरों, जिसमें ऑटोमोबाइल, रिटेल, हथकरघा, चमड़ा आदि शामिल हैं, को लगभग 80 प्रतिशत आवश्यकता वाला माना गया है। भारत में रोजगार के अवसर 2013 के 461.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 581.9 मिलियन हो जाएंगे। अनेक सेक्टरों में मानव संसाधन आवश्यकता में ओवरलैप पर विचार करते हुए वर्धमान मानव संसाधन की आवश्यकता लगभग 120 मिलियन है, जबकि विशिष्ट संख्या 109.7 मिलियन है।

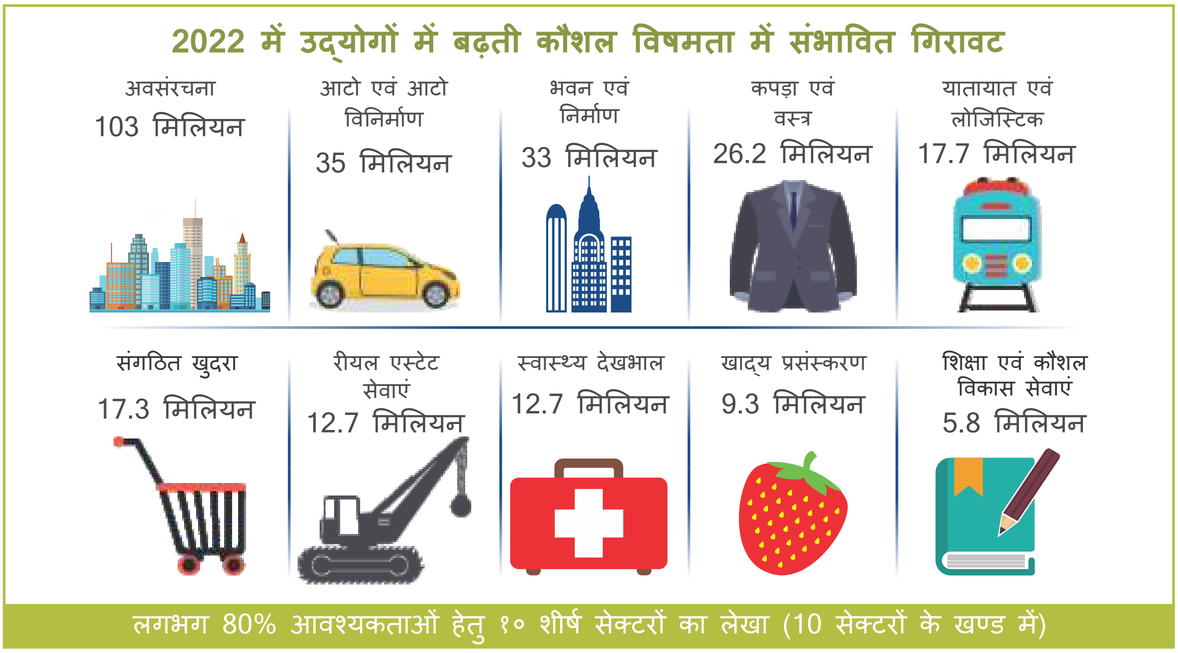

सभी सेक्टरों में बढ़ती मानव संसाधन आवश्यकता: 109.73 मिलियन

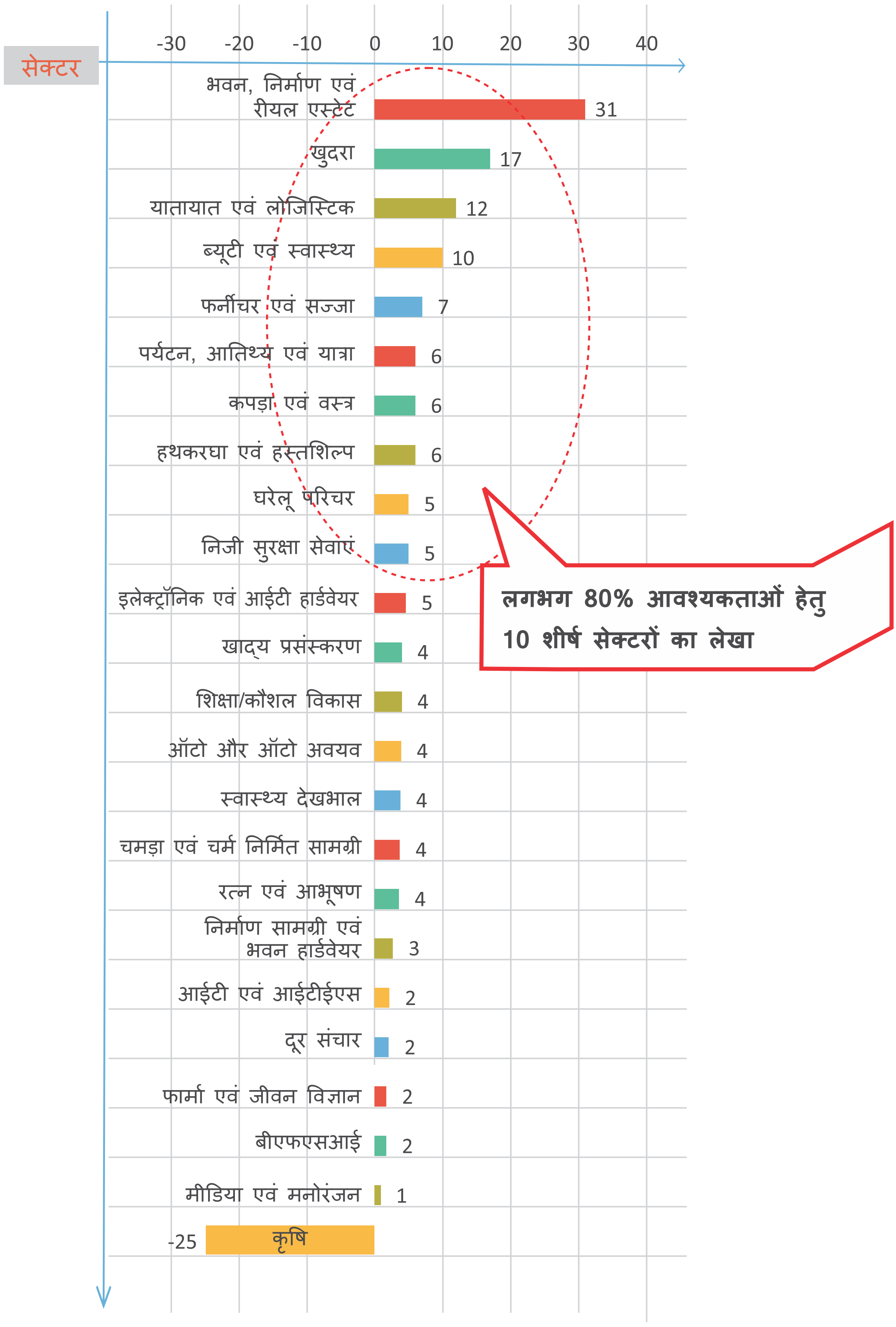

तालिका 1: सभी सेक्टरों में वर्धमान आवश्कता के ब्योरे

क्र.सं.	सेक्टर	2013 में रोजगार आधार (मिलियन)	2022 तक अनुमानित रोजगार (मिलियन)	वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (2013-2022)
1	ऑटो और ऑटो पुर्जे	10.98	14.88	3.9
2	सौंदर्य और स्वास्थ	4.21	14.27	10.06
3	खादय प्रसंस्करण	6.98	11.38	4.4
4	मीडिया और मनोरंजन	0.4	1.3	0.9
5	हथकरघा और हस्तशिल्प	11.65	17.79	6.14
6	चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं	3.09	6.81	3.72
7	घरेलू सहायक	6	10.88	4.88
8	रत्न और आभूषण	4.64	8.23	3.59
9	दूरसंचार	2.08	4.16	2.08
10	पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा	6.96	13.44	6.48
11	फर्नीचर और फर्निशिंग	4.11	11.29	7.18
12	भवन, निर्माण और रियल एस्टेट	45.42	76.55	31.13
13	आईटी और आईटीईएस	2.96	5.12	2.16
14	निर्माण सामग्री और बिल्डिंग हार्डवेयर	8.3	11	2.7
15	वस्त्र और पोशाक	15.23	21.54	6.31
16	स्वास्थ्य सेवा	3.59	7.39	3.8
17	सुरक्षा	7	11.83	4.83
18	कृषि	240.4	215.6	(24.8)
19	शिक्षा / कौशल विकास	13.02	17.31	4.29
20	परिवहन और लॉजिस्टिक	16.74	28.4	11.66
21	इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर	4.33	8.94	4.61
22	फार्मा और लाइफ साइंसेज	1.86	3.58	1.72
23	बीएफएसआई	2.55	4.25	1.7
24	रिटेल	38.6	55.95	17.35
सकल जोड़		**461.1**	**581.89**	**120.79**

रिटेल सेक्टर में डुप्लीकेशन खत्म करना

अलग-अलग रिपोर्टों को सेक्टर की आवश्यकता की वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए अकेले रिटेल सेक्टर और उनके संबंधित बड़े सेक्टरों दोनों में नीचे दिए गए अनुमानों का परिकलन किया गया है। कुल आवश्यकता की दृष्टि से दोहरे परिकलन से बचने के लिए रिटेल सेगमेंट से घटक को हटा दिया गया है।

क्र.सं	सेक्टर	2013 में रोजगार आधार (मिलियन)	2022 तक अनुमानित रोजगार (मिलियन)	वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (2013-2022)
1	ऑटो और ऑटो उपकरणों का रिटेल सेगमेंट	1.5	1.95	0.45
2	रत्न और आभूषण के रिटेल सेगमेंट	1.5	3.14	1.64
3	खादय सेवा के रिटेल सेगमेंट	4.6	10.49	5.89
4	फर्नीचर के रिटेल सेगमेंट और फर्निशिंग	0.29	0.61	0.32
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के रिटेल सेगमेंट	1.58	3.34	1.76
6	फार्मा और लाइफ साइंसेज के रिटेल सेगमेंट	0.9	1.9	1
कुल		**10.37**	**21.43**	**11.06**
आवश्यकता का कुल जोड़ (डुप्लीकेशन हटाने के बाद)		450.73	560.46	109.73

तालिका 2 : राज्यों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (2013-22)

राज्य	वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता कुल 2013-22
आंध्र प्रदेश	10871315
अरुणाचल प्रदेश	147046
असम	1234357
छत्तीसगढ़	3043736
दिल्ली	6341921
गोवा	227261
हरियाणा	3484731
हरियाणा	93268
हिमाचल	1206379
जम्मू और कश्मीर	1122787
झारखंड	4452801
कर्नाटक	8476134
केरल	2956896
मध्य प्रदेश	7816045
महाराष्ट्र	15522185
मणिपुर	233446
मेघालय	248954
मिजोरम	140188
नगालैंड	97382
ओडिशा	3345584
पंजाब	2899005
राजस्थान	4242438
सिक्किम	147821
तमिलनाडु	13552000
त्रिपुरा	259330
उत्तर प्रदेश	11011055
उत्तराखंड	2061143
पश्चिम बंगाल	9342561
कुल योग	**120334478**

नीतिगत अंत:क्षेपण

15 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्घाटन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

3. नीतिगत अंत:क्षेपण

3.1 राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (15 जुलाई, 2015 को अधिसूचित)

पृष्ठभूमि

प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनपीएसडी) को 2009 में अधिसूचित किया गया था। एनपीएसडी, 2009 में देश में कौशलीकरण परिदृश्य के लिए स्पष्ट उद्देश्यों और परिणामों के साथ विस्तृत ढांचा निर्धारित किया गया था। देश में कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक रूपों में परिवर्तन होने से तथा देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त अनुभव से विद्यमान नीति को नए सिरे से तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा, 2009 की नीति में यह प्रावधान किया गया है कि इसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उभर रही प्रवृत्तियों के साथ नीति के ढांचे को अनुरूप करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाए।

• आकांक्षा एवं वकालत	• वैश्विक भागीदारी
• क्षमता	• पहुंच
• गुणवत्ता	• आईसीटी समर्थता
• सिनर्जी	• प्रशिक्षक एवं आकलनकर्ता
• गतिशीलता एवं नियुक्ति	• समावेशिता
• महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा	

विजन-कथन

उद्यमशीलता आधारित नवोन्मेष की संस्कृति को तीव्र गति और उच्च मानकता के साथ विशाल पैमाने पर कौशलीकरण के साथ उन्नत करने के लिए सशक्तिकरण परिवेश नर्मित करना, जिससे धन और रोजगार का सृजन हो सके तथा देश में समस्त नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित हो सके।

नीति का कौशल घटक

नीतिगत कौशल घटक द्वारा कौशल परिदृश्य में अन्य समस्याओं के साथ-साथ निम्न आकांक्षा मूल्य, औपचारिक शिक्षा के साथ समेकन न होना, परिणामों पर कम ध्यान केंद्रित होना, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों का स्तर संबंधी मुख्य समस्याओं का निवारण। पहचानी गई समस्याओं का निवारणार्थ नीति में मांग-आपूर्ति की विषमता दूर करना, मौजूदा कौशल अंतरालों को भरना, उद्योग आबद्धता को संवर्धित करना, गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को संचालित करना, प्रौद्योगिकी का उत्थान करना और शिक्षुता का संवर्धन करना शामिल है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े और महिलाओं सहित अलाभकर समूह में समान कौशलीकरण अवसरों का विकास करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति, 2016

कौशल विकास का दबाव क्षेत्र

- कौशलीकरण की मुख्य धाराएं
- मौजूदा कौशल विषमताओं को दूर करके कौशल मांग और आपूर्ति का संरेखन
- सामाजिक/भू-भागीय रूप से हाशिए पर स्थित तथा वंचित समूहों के कौशलीकरण अवसरों को लक्षित साम्यता
- महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रम

नीति का उद्‌यमिता घटक

इस नीति के उद्यमशीलता क्षेत्र में औपचारिक/कौशल शिक्षा, ऋण तथा बाजार संपर्क की दृष्टि से उद्यमियों की सहायता में वृद्धि करना, नवोन्मेष समर्थित एवं सामाजिक उद्यमियों का पोषण करना तथा व्यवसाय में सुगमता स्थापित करने के भाग के तौर पर पक्ष समर्थन तथा उद्यमशीलता शिक्षा के समाकलन के माध्यम से उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके तहत महिलाओं में उद्यमशीलता उत्पन्न करना तथा सामाजिक/भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े अलाभकर समूहों की उद्यम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रस्ताव है।

3.2 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का लक्ष्य एक उच्च शक्ति निर्णयकारी ढांचा के माध्यम से अभिसरण सृजित करना तथा विभिन्न क्षेत्रीय निर्णयों को लागू करना है। इससे पैन इंडिया आधार पर कौशलीकरण गतिविधियों को अभिसारित, समन्वित, कार्यान्वित तथा निगरानी रखना संभावित है।

इस मिशन में **त्रि-स्तरीय संस्थानगत ढांचा** निहित है, जिसमें निकायों के सोपान कार्यों में नीति-निर्देश तथा दिशा-निर्देश प्रदान करना, समग्र प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने तथा मिशन उद्देश्यों के संरेखण में वास्तविक कार्यान्वयन शामिल हैं।

इसका विस्तृत ढांचा निम्नवत है:

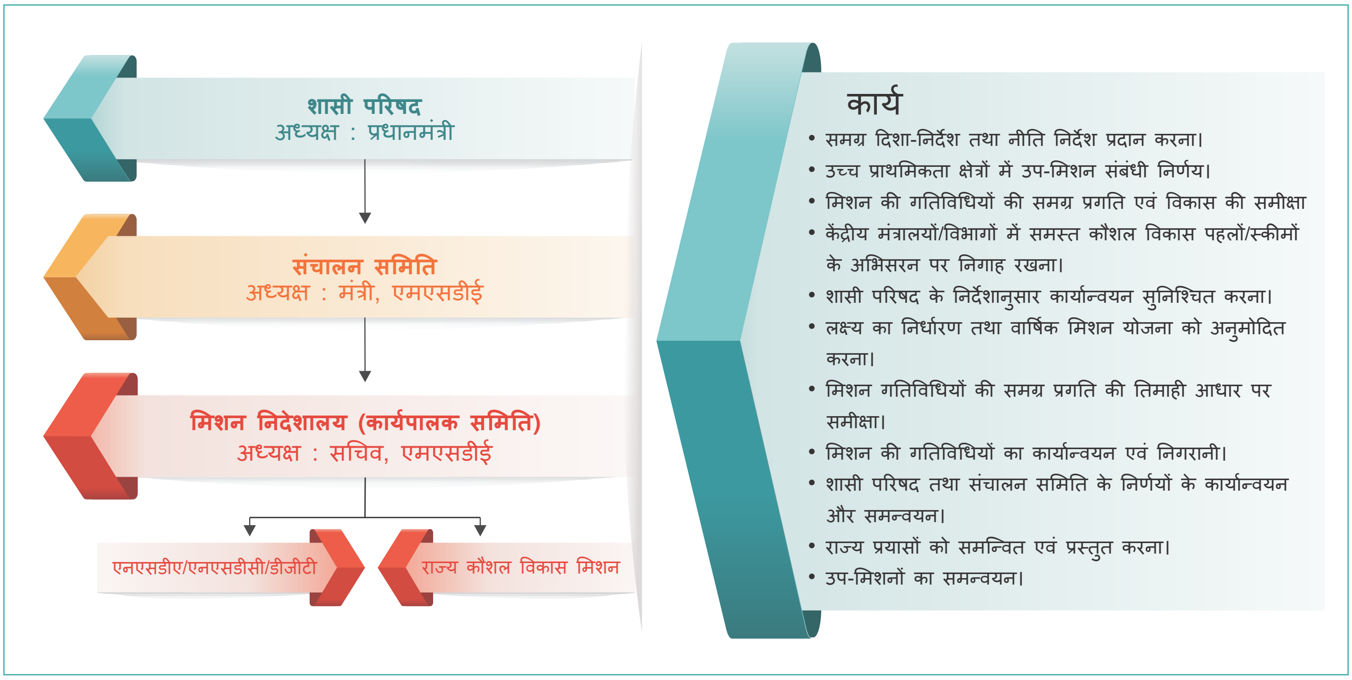

- मिशन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उप-मिशनों का चयन भी करेगा। इन उप-मिशनों के पहचान करने का अधिकार शासी परिषद के पास है। प्राथमिक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सात उप-मिशनों को प्रस्तावित किया गया है:
(I) संस्थागत प्रशिक्षण, (ii) अवसंरचना, (iii) अभिसरण, (iv) प्रशिक्षक, (v) विदेश में रोजगार, (vi) सतत आजीविका, (vii) सार्वजनिक अवसंरचना का उत्थान
- 27 नवंबर, 2015 को अधिसूचित एनएसडीएम समिति की शासी परिषद, संचालन समिति तथा कार्यपालक समिति। कार्यपालक समिति की बैठक 16 फरवरी को आयोजित हुई थी।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

- एनएसडीएम को उसके उप-मिशनों सहित परिचालनार्थ डीईए की चयन समिति द्वारा अनुमोदित एक बिलियन डॉलर की विश्व बैंक सहायता से संचालित परियोजना - एसटीईपीपीपी (निजी-सार्वजनिक भागीदारी नियोजना हेतु कौशल प्रशिक्षण)
- एसटीईपीपीपी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं: मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना का उत्थान, योग्य अनुदेशकों का एक पूल तैयार करना, राज्य स्तर पर समस्त प्रशिक्षण गतिविधियों के मध्य अभिरण सृजित करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सुदृढ़ निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना, अलाभकर क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना तथा संबंधित विनिर्माण क्षेत्रों में कौशल अपेक्षाओं की कमी दूर करना, जो कि मेक इन इंडिया पहल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तत्व है।

3.3 सामान्य मानदंड

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, दिनांक 02.12.2013 की अधिसूचना के द्वारा, कौशल विकास पर केंद्र सरकार की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने/युक्तिकरण के लिए एक समिति का गठन किया है जिसका कार्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास की योजनाओं के लिए मानदंड उपलब्ध कराना है। अनेक दौर के विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के मानदंडों के बारे में अपनी सिफारिश दे दी है। देश के विभिन्न भागों/विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें लचीलापन अपनाने की अनुमति दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है जिसमें कौशल विकास, आदान/आउट पुट, निधिकरण/लागत मानदंड, तीसरे पक्ष का प्रमाणीकरण और आकलन, लागत समिति आदि शामिल है। समिति की रिपोर्ट को आम जनता की जानकारी और टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया गया था। समिति की रिपोर्ट और स्टेक धारकों से प्राप्त आदानों/फीडबेक के आधार पर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड बनाए हैं। इन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

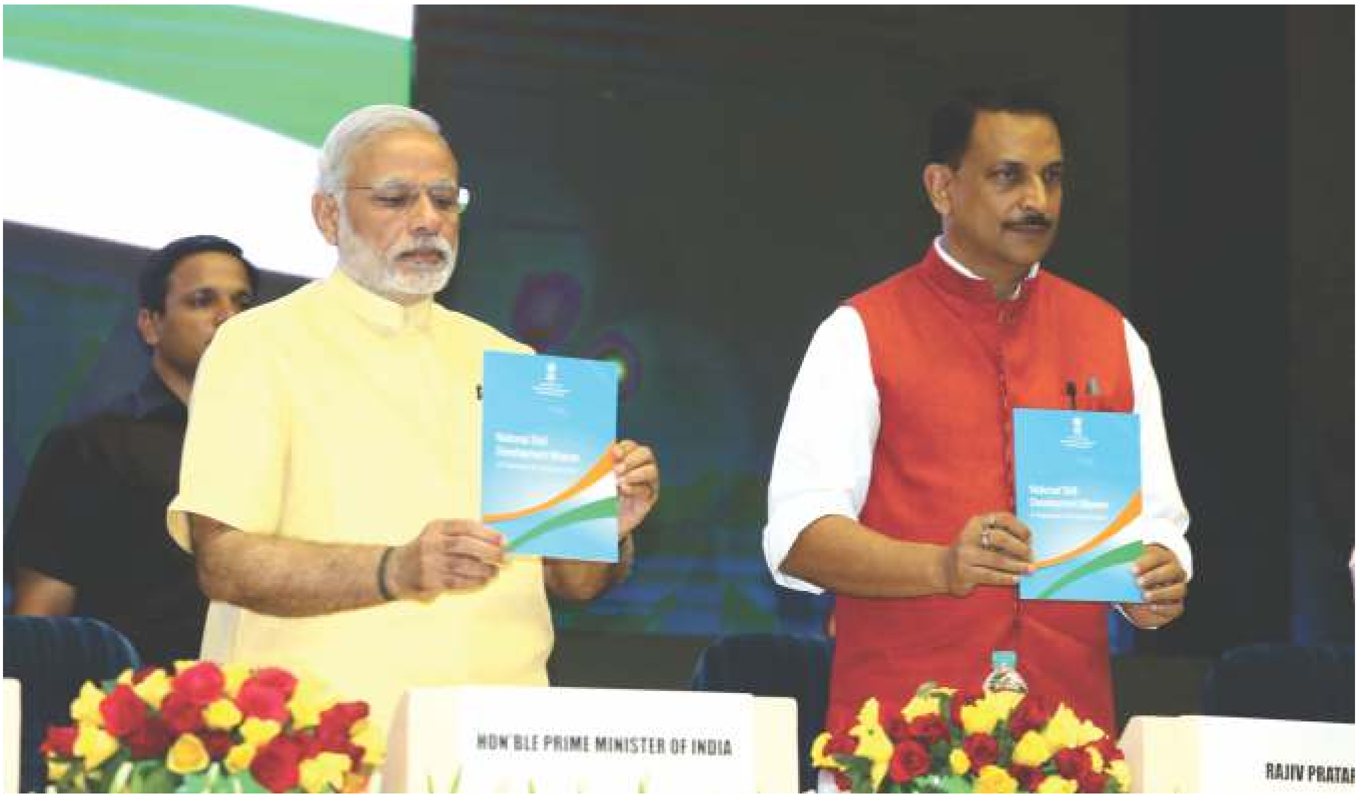

15 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्घाटन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रमुख संस्थान

15 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आईटीआई प्रशिक्षार्थी को कौशल कार्ड प्रदान करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

4. मंत्रालय के प्रमुख संस्थान

4.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है, जिसमें देश के नियोजनीय युवाओं के लिए महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति और रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। 16 अप्रैल, 2015 के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के आदेश संख्या 1/21/9/2014-कैब तथा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के 21.04.2015 के आदेश संख्या डीजीईएंडटी-ए-22020/01/2015-प्रशा.।। के अनुसरण में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के दो वर्टिकल्स, जो उप-महाप्रबंधक (प्रशिक्षण) तथा उप-महाप्रबंधक (शिक्षुता प्रशिक्षण) के अधीन है, अपने सहायक प्रणाली सहित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को स्थानांतरित कर दिए गए।

डीजीटी के मुख्य भुमिकाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

01 व्यावसायिक प्रशिक्षण का नीति निर्माण

02 मानक निर्धारण

03 पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या में संशोधन

04 संबद्धता प्रदान करना

05 व्यापार परीक्षण

06 प्रमाणन

<u>कार्य:</u> डीजीटी श्रम बाजार में विभिन्न सेगमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। पाठ्यक्रम स्कूल बीच में छोड़ने वाले आईटीआई उत्तीर्ण, आईटीआई अनुदेशकों, औद्योगिक कर्मियों, तकनीशियनों, कनिष्ठ तथा मध्यम स्तर के कार्यपालकों/परवेक्षकों/फोरमैनों, महिलाओं, नि:शक्तजनों, एससी/एसटी हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षार्थियों तथा प्रशिक्षकों आदि के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विकास तथा प्रशिक्षणोन्मुखी अनुसंधान भी आयोजित करता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) एक त्रि-पक्षीय निकाय है। इसका गठन 1956 में श्रम मंत्रालय द्वारा " व्यावसायिक प्रशिक्षण" से संबंधित मामलों पर सलाह देने हेतु किया गया था, जिसमें पाठ्यचर्या की डिजाइनिंग, अर्हता मानकों का अनुरक्षण, संबद्धता हेतु मानदण्ड का निर्णय, संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने, व्यवसाय परीक्षण और प्रमाणन शामिल हैं।

फरवरी, 2016 में मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्ताह में कुशल भारत पेवेलियन

एमएसडीई में स्थानान्तर होने के बाद एनसीवीटी का 13.05.2015 से 30 सितंबर, 2016 तक के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आंशिक रूप से पुनर्गठन हुआ है। इस समिति में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियोजक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, व्यावसायिक विद्वत निकायों, विशेषज्ञों तथा एससी/एसटी के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है। एनसीवीटी को सचिवालयी सहायता डीजीईएंडटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

एनसीवीटी के प्रमुख कार्य

- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्रों की स्थापना तथा उन्हें इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी ट्रेडों तथा ऐसे ही अन्य ट्रेडों को, जिसे भारत सरकार द्वारा इसके अधीन लाया जाए, को प्रदान करना;
- प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों, उपस्करों, पैमानों, पाठ्यक्रमों की अवधि तथा क्रिया-विधि संबंधी मानक निर्धारित करना;
- विभिन्न ट्रेड पाठ्यक्रमों के लिए ट्रेड परीक्षा का प्रबंध करना तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित दक्षता मानकों का निर्धारण करना, ताकि उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सके;
- देश के प्रशिक्षण संस्थानों का तदस्थ अथवा नियतकालिक निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि परिषद द्वारा विनिर्धारित मानकों का परिपालन किया जा रहा है;
- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सरकार अथवा निजी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना एवं ऐसी मान्यता के संबंध में शर्तें निर्धारण करना;
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अर्हता शर्तों और मानकों का निर्धारण;
- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्रों की शर्तों पर सामान्य रूप से नियंत्रण रखना;
- जहां कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान की सिफारिश करना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अथवा अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन हेतु यथा संभव सहायता उपलब्ध करना;
- राज्य सरकारों को शिल्पी प्रशिक्षण स्कीम पर व्यय हेतु केंद्र सरकार के अंशदान संबंधी अंशदान वितरण
- भारत सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य का निर्वहन करना;
- शिक्षुता अधिनियम, 1960 के अधीन अथवा उनके द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य का निर्वहन करना;

कौशल विकास संबंधी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देने हेतु ऐसी ही परिषदों तथा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का गठन किया गया है। एनसीवीटी द्वारा एससीवीटीज को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1861 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकरण की सलाह दी है।

12 जनवरी, 2016 को मुंबई में राष्ट्रीय कौशल उद्योग सम्मेलन के अवसर पर संसद तथा उद्योग के प्रतिनिधि

डीजीटी के अधीन प्रशिक्षण संस्थान

डीजीटी के तत्वाधान में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों का गठन किया गया है:

- 10 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई)
- 2 अति-ईपीआईएस (उन्नत प्रशिक्षण संस्थान-इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया इंस्ट्रुमेंटेशन)
- 2 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआईज)
- 1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई)
- महिलाओं के लिए 1 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई)
- महिलाओं के लिए 15 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई)

फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन

- प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, जो पूर्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन डीजीईएंडटी का एक भाग था, ने उद्योगों को सुविधा दी है कि वे उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उच्चतर रोजगार संभावित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण संचालित करने की विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाएं। उद्योगों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु विभिन्न विंडों शिल्प प्रशिक्षण स्कीम के तहत खोली गई हैं (इनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं)। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास पहलों आधारित मॉड्यूर एम्प्लाएबल स्किल कोर्सेस भी हैं। इन विंडोज का लाभ उठाने हेतु रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं उद्योग/नियोजकों अथवा अर्हक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। पाठ्यक्रम उच्च संभावित क्षेत्रों तथा उद्योग/नियोजकों के प्रस्तावित पाठ्यक्रमों से न्यूनतम 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित हो सकेंगे, जो न्यूनतम 6 माह की अवधि के होंगे।

- अब तक निम्नलिखित संगठनों के साथ 16 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं:

क्र. सं.	संगठन
1.	फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
2.	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल)
3.	लेबरनेट प्रबंधित सेवाओं (लेबरनेट)
4.	हलचल (कुशल सिलाई संस्थान रेमंड द्वारा)
5.	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
7.	टाटा मोटर्स लिमिटेड
8.	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)
9.	इंडिया यामाहा मोटर्स प्रा. लिमिटेड
10.	इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद
11.	रेमंड लिमिटेड, पुणे
12	यशस्वी कौशल अकादमी, पुणे
13.	ट्राइडेंट लिमिटेड
14.	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय
15.	जेएन टाटा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
16.	ड्राइविंग कौशल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च (डीएसआईआर)

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरकार की विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने प्रयासों में डीजीटी एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है, जो देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देखती है। इसने विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। देश में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण में गति प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों में आरवीटीआईज खोले गए हैं।

संस्थानों का नेटवर्क

महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **केंद्रीय तथा राज्य सरकारों** के अंतर्गत संस्थानों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की महिलाओं में रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। संस्थानों के नेटवर्क में 16 केंद्रीय संस्थान आते हैं, जिनमें नोएडा स्थित राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अलावा 15 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान विशेषरूप से महिलाओं को उच्च वेतन रोजगार तथा स्व-रोजगार संभाव्य कौशल उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुदेशक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराते हैं। उद्योगों की स्थापना संबंधी वर्ष तथा स्थानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्थान	स्थापना वर्ष
I	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) (डब्ल्यू)	नोएडा	1977
ii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) डब्ल्यू)	मुंबई	1977
iii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	बैंगलोर	1977
iv	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	तिरुवनंतपुरम	1983
v	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	पानीपत	1986
vi	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	कोलकाता	1986
vii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	तुरा	1986
viii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	इलाहाबाद	1991
ix	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	इंदौर	1992
x	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	वडोदरा	1993
xi	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	जयपुर	1994
xii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	शिमला	2015
xiii	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	राजपुरा	2015
xiv	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	त्रिची	2015
xv	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	अगरतला	2015
xvi	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) (डब्ल्यू)	पटना	2015

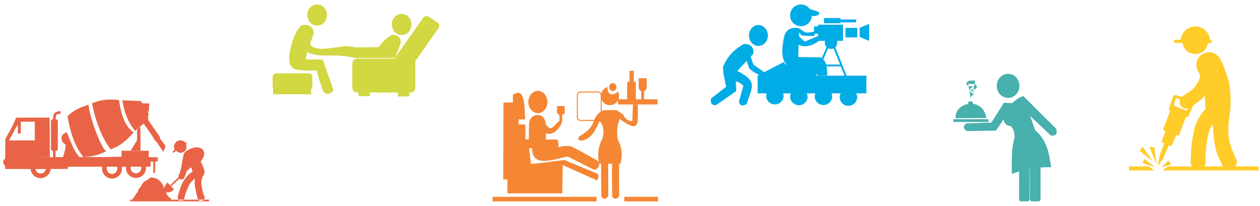

शिक्षुता अधिनियम, 1961 में संशोधन

भारत सरकार ने हाल ही में उद्योगों तथा शिक्षुता द्वारा झेली जा रही समस्याओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद शिक्षुता के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया है। शिक्षुता अधिनियम में 12 दिसंबर, 2014 से प्रवृत्त संशोधन किया गया है, जिससे शिक्षुता अधिनियम युवाओं और उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल हो गया है। संशोधित शिक्षुता नियमावली 18 जून, 2015 को अधिसूचित की गई थी।

सरकार द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों में शिक्षुता व्यवसाय-वार तथा यूनिट-वार नियामक पुरानी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब संस्थापनाएं कुल संख्या का 2.5 से 10 प्रतिशत सीमा के अंदर शिक्षुओं की भर्ती कर सकते हैं। इसमें संविधा स्टाफ व्यवसायी प्रशिक्षुओं को दिए जा रहे वेतन को राज्य स्तर पर अर्ध-कुशल कामगारों को दिए जा रहे वेतन से जोडना, अधिसूचित निर्धारित व्यवसायों के अलावा नामोदिष्ट व्यवसायों को छोड़ कर अन्य परिचालित व्यवसायों के लिए शिक्षुओं भर्ती करने की अनुमति है, जिससे शिक्षुता का क्षेत्र व्यापक होगा तथा सेवा क्षेत्र में शिक्षुता तैनाती की अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने पर लगने वाले दण्ड में शिथिलता आएगी। राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के उद्योगों और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में शिक्षुता भर्ती के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह सुविधा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), एमएसडीई के अधीन 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों (आरडीएटी) द्वारा दी जा रही है।

प्रमुख पहलें/गतिविधियां

- देश में शिक्षुता अवसरों को बढ़ाने के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों (टीपीएज) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। टीमलीज सर्विसिज, यशस्वी इंस्टिट्यूट एवं सेंचुरियन विश्वविद्यालय को टीपीए के रूप में नियुक्त किया गया है।
- शिक्षुता पर सीएसआर के अंतर्गत 2.5 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति का प्रस्ताव कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजा गया है।
- टीवी शो तथा उद्योग क्लस्टरों (अब तक 14 क्लस्टरों) में पैन इंडिया जागरूकता कार्यशाला के रूप में आरंभ की गई शिक्षुता प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए पक्ष समर्थक उपाय
- शिक्षुता प्रबंधन की सुविधा के लिए एक ऑन-लाइन शिक्षुता पोर्टल 15 जुलाई, 2015 का आरंभ किया गया
- विगत एक वर्ष में शिक्षुता 2.70 लाख से बढ़कर 2.92 लाख हो गई है

आतिथ्य प्रबंधन

शिक्षुता अधिनियम, 1961 में संशोधन

1. भोगाधिकार संबंधी प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षुता विनियमों का व्यवसाय-वार और यूनिट-वार प्रणाली पुरानी पड़ जाने के कारण समाप्त कर दी गई है और 2.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम लक्ष्य प्रणाली प्रतिस्थापित की गई है (कुल कर्मचारियों के अधिकतम 10 प्रतिशत वाले शिक्षुता संबंधी छूट पर भी विचार किया जा रहा है)।
2. एनसीवीटी की शिक्षुता व्यवसायों की सूची 259 तक सीमित रहने के स्थान पर उद्योग राज्य प्रौद्योगिकियों तथा नई पीढ़ी पर आधारित ऐच्छिक व्यवसायों को ऑन-बोर्ड प्रशिक्षुता पर रख सकते हैं।
3. शिक्षुता परिक्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसमें समस्त स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर तथा अन्य अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शामिल किया गया है।
4. सेवा क्षेत्र में शिक्षुओं की नियुक्ति को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
5. उद्योगों पर कारावास जैसी दण्ड की समाप्ति कर दी गई है तथा उसके स्थान पर लक्ष्यों की दृष्टिगत उपलब्धियां सूचित करने वाली स्व-नियामक व्यवस्था लागू की गई है। इसका अनुपालन न करने वाले उद्योगों पर अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है।
6. बुनियादी प्रशिक्षण के लिए इन-हाउस असंरचना की व्यवस्था अब अनिवार्य नहीं है तथा कंपनियां अब आउट-सोर्स आधारित व्यवस्था कर सकती हैं। जिन कंपनियों के पास प्रशिक्षण संबंधी आंतरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बुनियादी प्रशिक्षण हेतु तृतीय पक्ष एजेंसियों का सहारा लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि किसी एमएसएमई यूनिट में संपूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसे 2-3 औद्योगिक यूनिटों में विभाजित करने की अनुमति होगी।
7. शिक्षुता की अवधि को तर्क-संगत बना दिया गया है। वह अब न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 3 वर्ष की होगी। इसकी ऊपरी सीमा 2 वर्ष करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है।
8. अधिकारियों द्वारा शिक्षुता संबंधी मामलों का निरीक्षण करना अब काफी कम कर दिया गया है तथा उसके लिए भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का लिखित पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है।
9. राज्य से बाहर के शिक्षुता पर लगी रोक अब हटा दी गई है। अब किसी भी यूनिट में देश के किसी भी स्थान से शिक्षुता प्राप्त की जा सकती है।
10. माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में वेब आधारित शिक्षुता पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) की शुरूआत की है, जिसका प्रयोग कंपनियां ट्रेड-वार शिक्षुता संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। शिक्षुता के लिए ऑन-लाइन आवेदन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षुता संविदा अनुमोदन भी ऑन-लाइन लिया जा सकता है। शिक्षुता आवेदकों, कंपनियों तथा सरकार के बीच ऑन-लाइन संपर्क की सुविधा रहेगी। कंपनियां अपने पोर्टल पर शिक्षुता का ब्योरा डाल सकती हैं (जो जटिल रिटर्न्स का स्थान लेगा) और सरकार भी इस पोर्टल से आंकड़े प्राप्त कर सकती है।
11. व्यवसाय प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले वेतन भी अब राज्य स्तर के अर्ध-कुशल कामगारों को न्यूनतम वेतन (जो पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमश: न्यूनतम वेतन का क्रमश: 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत होगा) से जोड़ दिया जाएगा। उद्योग शिक्षुओं को उच्चतर वेतन देने को स्वतंत्र है।
12. शिक्षुता प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत निर्धारित वेतन भुगतान का 50 प्रतिशत एमएसडीई द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र में उच्चतम प्राथमिकता एमएसएमई को दी जाएगी।
13. यदि किसी कंपनी का 4 या अधिक राज्यों में ऑन-बोर्ड शिक्षुता है तो वह केंद्र में एमएसडीई के नामोदिष्ट अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकती है।

पूर्वोत्तर तथा वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पहल

''वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास'

वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा उन लोगों के संपर्क में आने वाले जिलों में कौशल विकास अवसंरचना के सृजन की स्कीम 2011 में आरंभ की गई। इस स्कीम का लक्ष्य इन 34 जिलों में से प्रत्येक में एक आईटीआई तथा दो कौशल विकास केंद्र (एसडीसीज) खोलना है और इन क्षेत्रों के आस-पास तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने व युवाओं को शानदार जीविकोपार्जन अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दीर्घावधि तथा लघु-अवधि व्यावसायिक मांग-आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाना है। इस स्कीम की लागत 241.65 करोड़ रु. है।

इस स्कीम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 30 प्रति जिले की दर से 1000 युवाओं को दीर्घावधि प्रशिक्षण, 120 प्रति जिले की दर से 4000 युवाओं को लघु-अवधि प्रशिक्षण तथा 10 प्रति जिले की दर से 340 युवाओं को अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

09 राज्यों में 34 आईटीआईज तथा 68 एसडीसीज के साथ-साथ 4290 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु 117.85 लाख रु. जारी किए गए हैं।

इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों तथा संबंधित जिलों की सूची नीचे दी गई है:

- प्रति जिला 30 की दर से 1000 युवाओं को दीर्घावधि प्रशिक्षण
- प्रति जिला 120 की दर से 4000 युवाओं को लघु-अवधि प्रशिक्षण
- प्रति जिला 10 की दर से 340 युवाओं को अनुदेशक प्रशिक्षण
- 09 राज्यों को 117.85 लाख रु. की राशि जारी की गई
- 09 राज्यों में 4290 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ 34 आईटीआई एवं 68 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना

तेलंगाना खम्मन	**बिहार** जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल	**छत्तीसगढ़** दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर
झारखंड चतरा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग	**मध्य प्रदेश** बालाघाट	**महाराष्ट्र** गढ़चिरौली कश्मीर, गोंदिया
ओडिशा गजपति, मलकानगिरी, रायगढ़, देवगढ़, संबलपुर	**उत्तर प्रदेश** सोनभद्र	**पश्चिम बंगाल** पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)
	कुल 34	

'पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना वर्धन'

पूर्वोत्तर राज्यों के मौजूदा कौशल विकास अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए 2011 में 57.39 करोड़ रू. की स्कीम तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों में असम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम तथा मेघालय आते हैं। इस स्कीम का लक्ष्य प्रति आईटीआइ तीन नए ट्रेड आरंभ करके 20 आईटीआईज का उन्नयन करना है। साथ ही 28 आईटीआईज में नए हॉस्टल, चारदीवारी का निर्माण करके तथा पुराने औजारों और उपस्करों को बदलकर अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इस स्कीम को संशोधित कर दिया गया है, जिसके तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 22 नए आईटीआईज खोलने का अतिरिक्त घटक शामिल करने के लिए 298.13 करोड़ रू. की व्यवस्था की गई है।

8 राज्यों अर्थात असम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम तथा मेघालय के लिए कुल 96.69 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

4.2 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), जो एक स्वायत्त निकाय है, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत) का सृजन देश में कौशल गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण कार्य करने के लिए किया गया था और अब यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) का अंग है।

दिनांक 6 जून, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनएसडीए को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:

- कौशलीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाना, जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा बर्ग, अल्प संख्यकों, महिलाओं जैसे वंचित और हाशिए पर के समूहों तथा विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- राज्य कौशल विकास मिशनों के लिए नोडल एजेंसी
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, एनएसडीसी और निजी संस्थानों के बीच कौशल विकास के लिए गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करना
- एनएसक्यूएफ को स्थिर करना और प्रचालनरत करना
- कौशल विकास के लिए अतिरिक्त बजलगत संसाधन जुटाना
- विद्यमान कौशल विकास स्कीमों का उनकी क्षमता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना
- एक डायनमिक श्रम बाजार सूचना तंत्र (एलएमआईएस) तैयार करने सहित कौशल विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटा बेस बनाना और उसका रख रखाव करना
- पक्ष समर्थन के लिए सकारात्मक कार्रवाई
- सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना

एनएसडीए द्वारा शुरू की गई गतिविधियां

समन्वित श्रम बाजार सूचना प्रणाली का सृजन

सरकार द्वारा श्रम बाजार सूचना प्रणाली की आवश्यकताओं का समेकित समाधान ढूढ़ने के लिए एनएसडीए में श्रम बाजार सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय संचालन समिति को 24 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससीज), प्रशिक्षण प्रदाताओं/एजेंसियों, आकलन एजेंसियों, उद्योग निकायों, तैनाती एजेंसियों आदि की कौशल विकास गतिविधियों/कार्यक्रमों हेतु सूचना प्रबंधन के लिए एकल विंडों प्रणाली उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली का उद्देश्य किसी भी समय विभिन्न हितधारकों पर एकीकृत तथा समेकित सूचना उपलब्ध कराना है, जिससे कि सरकार तथा नीति निर्माताओं के लिए निर्णयकारी सूचना प्राप्त करने की सुविधा हो।

उपर्युक्त के संदर्भ में एनएसडीए ने राष्ट्रीय एलएमआईएस के सृजन और विकास की प्रक्रिया आरंभ की है। राष्ट्रीय एलएमआईएस के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के तौर पर राष्ट्रीय सूचना-तंत्र केंद्र (एनआईसी) कार्यरत है तथा मार्च, 2016 के अंत तक इस पोर्टल का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा।

एनएसक्यूएफ पर मंत्रालयों और राज्यों की आबद्धता

16 राज्यों यथा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, केरल, पंजाब तथा हरियाणा में एनएसक्यूएफ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, और ओडिशा में गठित एनएसक्यूएफ संबंधी कोर समिति ने एनएसडीए की समीक्षा के लिए कुछ अर्हक फाइलें भी प्रस्तुत की हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय ने एनएसक्यूएफ के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित की हैं (एनएसक्यूएफ पर कोर समिति का गठन भी किया गया है)।

कौशल नवोन्मेष पहल-एनएसडीए के तत्वावधान में कौशल नवोन्मेष पहल के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है। एनएसडीए कौशल विकास पर नवोन्मेषी विचारों, अवधारणाओं तथा पद्धतियों को आमंत्रित करती है। यह समिति नवोन्मेष संबंधी सभी प्रस्तावों पर समीक्षा करती है और प्रस्तावों का विस्तृत पैमाने पर अनुपयोग करती है। विस्तृत अनुप्रयोग के लिए चयनित नवोन्मेषी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। विस्तृत स्तर पर प्रचारार्थ 10 नवोन्मेषी पद्धतियों तथा समाधानो को पहले ही पहचाना जा चुका है।

गुणवत्ता आश्वासन ढांचा: एक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचा (एनक्यूएएफ), जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे का आधार होगा, का विकास एनएसडीए में किया जा रहा है। एनक्यूएएफ के समग्र मैनुअल को 7 मैनुअल के सेट द्वारा विभिन्न हितधारकों की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जिससे एनक्यूएएफ अर्हताओं की पूर्ति होती है। ये मैनुअल निम्नलिखित हैं:

i. एनएसक्यूएफ अर्हताओं के मैनुअल का पंजीकरण
ii. प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थानों के मैनुअल का प्रत्यायन
iii. आकलन निकायों के मैनुअल का प्रत्यायन
iv. एनक्यूएएफ लेखा परीक्षकों का मैनुअल
v. जोखिम आकलन फ्रेमवर्क मैनुअल
vi. उद्योग निकायों के मैनुअल की गुणवत्ता आश्वासन
vii. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निकायों के मैनुअल के लिए गुणवत्ता आश्वासन

राष्ट्रीय ऋण समूहन तथा स्थानांतरण प्रणाली:

सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे को अंगीकार करने के आलोक में तथा शिक्षण के इन डोमेन में उम्मीदवारों की गतिशीलता लाने की दृष्टि से एनएसक्यूएफ अधिसूचना में एकीकृत ऋण समूहन तथा स्थानांतरण प्रणाली का प्रस्ताव है। मौजूदा ऋण प्रणाली से सीखने तथा उसका सृजन करने एवं ऋण प्रणाली और एनएसक्यूएफ के समस्त हितधारकों के हितार्थ सामान्य समझ विकसित करने की दृष्टि से एनएसडीए ने विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह से एक एकीकृत ऋण समूहन तथा स्थानांतरण प्रणाली का सृजन किया है।

कौशल विकास पर सांविधिक प्रारूप: एनएसक्यूएफ को सांविधिक रूप देने की दृष्टि से टीवीईटी में गुणवत्ता आश्वासन मानदण्ड का प्रावधान किया गया है तथा इन भूमिकाओं को वहन करने के लिए संगठनात्मक ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता हेतु कौशल विकास संविधि की आवश्यकता महसूस की गई थी। एनएसडीए ने मंत्रालय के समक्ष कुशल भारत का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग:

राष्ट्रीय स्तर पर एनएसडीए के भीतर एक राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (एनएसआरडी) का गठन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार प्रभाग की भूमिका कौशल सर्वेक्षण करने की होगी, जिसमें एसएससीज द्वारा किया गया पर्यावरण समूहन, अध्ययन आधारित मांग रुझान, एलएमआईएस के संचालन तथा अन्य कौशलीकरण मंचों और डेटाबेस सम्मिलित हैं। यह निकाय निजी क्षेत्र की निकट भागीदारी है, जिसमें एमएसडीई हेतु विषय संबंधी विशेषज्ञों और नीतिगत विचारक होंगे। इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घटनाक्रम पर करीब से नजर रखने के लिए और कौशलीकरण की पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ आबद्धता स्थापित करने हेतु और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लोगों के कौशल अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं/बेंचमार्क के अनुरूप हैं, जिससे उनके वैश्विक गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी। एनएसडीए इस दृष्टि से एनएसआरडी पर एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति की स्थापना की प्रक्रिया में है।

पूर्व शिक्षण मान्यता

पांच सेक्टरों अर्थात निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, रत्न एवं आभूषण, घरेलू कामगार और कृषि में आरपीएल के तहत प्रायोगिक अध्ययन कराए गए थे। इनकी मसौदा रिपोर्ट एनएसडीए और एमएसडीई को प्रस्तुत किया गया है । प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त सीख से आरपीएल नीति संबंधी मसौदे को परिष्कृत करने में सहायता मिली है।

एनएसडीए ने वाराणसी, माहेश्वरी और कांचीपुरम के हथकरघा समूहों, जयपुर के रत्न आभूषण और सूरत के हीरा समूहों का व्यापक दौरा आरपीएल प्रक्रिया में व्यावहारिक बारीकियों पाने के लिए आयोजित किया है। एमएसडीई की पीएमकेवीवाई योजना के तहत आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एनएसडीए सक्रिय रूप से कार्यरत है और यह पीएमकेवीवाई से प्राप्त अनुभवों को भी अपनी अंतिम नीति में शामिल करेंगे। एनएसडीए अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल करने की दिशा में आरपीएल कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न संदर्भित मॉडलों का दस्तावेज तैयार करेगा ।

मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता हुआ

उच्च शिक्षा के संस्थानों की आबद्धताएं

एनएसडीए यूजीसी, एआईसीटीई, सीबीएसई और एनआईओएस जैसे महत्वपूर्ण नियामक प्राधिकरणों के साथ-साथ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षण संस्थानों में से कुछ के साथ बौद्धिक मंथन सत्रों/कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य इन संस्थानों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री आदि के स्तर की अर्हताओं की दक्षता को एनएसक्यूएफ स्तर पर परिभाषित करना है।

एनसीवीटी पाठ्यक्रमों का एनएसक्यूएफ के साथ संरेखण

एनएसडीए ने कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता (एमएसडीई) के तहत डीजीटी की एनसीवीटी पाठ्यक्रमों को संरेखित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । एनसीवीटी के अंतर्गत तीन अतिलोकप्रिय ट्रेडों यथा फिटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन हेतु प्रक्रिया शुरू की है। मार्च, 2015 से सितंबर, 2015 के बीच कुल अनुमोदित 1460 अर्हताओं में से 1344 अर्हताएं योग्यता विभिन्न एसएससीज से, जबकि 116 अर्हताएं एनसीवीटी से हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए अध्ययन दौरा

भारत-यूरोपीय संघ कौशल परियोजना ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य टीवीईटी प्रणाली की समझ तैयार करना था। मंत्रालयों, राज्यों, सेक्टर कौशल परिषदों, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) से 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल इस अध्ययन दौरे का हिस्सा था। इस दौरे का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली का सिंहावलोकन करना और यह समझना कि किस प्रकार उद्योग टीवीईटी एजेंडा पर कार्य करते हैं तथा किस प्रकार कौशल परिषदें उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करती हैं, सरकारी एजेंसियों और निजी सेक्टरों की भूमिका तथा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय समकक्षों के बीच संभावित सहयोग की संभावनाओं को तलाशना था।

4.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

एनएसडीसी अपने किस्म का भारत में एक मात्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी निकाय है। इसका उद्देश्य उत्प्रेरण द्वारा बड़े, गुणता संपन्न, मुनाफा वाले व्यावसायिक संस्थानों का सृजन करना और उसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2022 तक 150 मिलियन भारतीयों को कुशल बनाने है। अब यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का हिस्सा है।

कौशल विकास को बढ़ाने के प्रयास में जुटा एनएसडीसी का प्रयत्न निम्नलिखित पर जोर देना है-

- कम लागत, उच्च स्तर के नवीनता वाले व्यापार मॉडल विकसित करना।
- महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना।
- सुनिश्चित करना कि इसकी निधि अधिकांशत: पुनर्प्रसारित करने अर्थात् अनुदान हेतु न होकर ऋण और इक्विटी के लिए है।
- मजबूत संग्रह का निर्माण करना।

गति और मानकता के साथ उत्कृष्ट निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करने हेतु एनएसडीसी के पास एक ढांचा और प्रशासकीय मॉडल है, जो इसे स्वायत्तता, आकार और निरंतरता प्रदान करता है। संगठन में निर्णयकारी ढांचा में निदेशकों का बोर्ड, उप-समितियों का बोर्ड तथा कार्यपालक परिषद आते हैं। एनएसडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 6 सदस्य सरकारी (इनमें दो निजी क्षेत्र से नामित हैं) तथा ९ सदस्य (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक सहित) निजी क्षेत्र से हैं। बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर श्री एस.रामादोराई हैं। एनएसडीसी निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कार्य करती है-

- निजी प्रशिक्षण केंद्रों को ऋण और इक्विटी सपोर्ट प्रदान करना।
- सेक्टर स्किल कौंसिलें।
- पीएमकेवीवाई, उड़ान और स्टार जैसी स्कीमों को सहायता से कौशल प्रशिक्षण।

विश्व कुशल भारत में भागीदारी

विश्व कुशल भारत एनएसडीसी की एक पहल है। एनएसडीसी अपने विश्व कुशल भारत पहल के माध्यम से, 2011 से, विश्व कुशल अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। समाज में कौशलों को प्रख्यापित करने और व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना तथा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन का प्रायोजन करने के माध्यम से हितधारकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

worldskills India

इस वर्ष 27 कौशल श्रेणियों की 29 प्रतिभागियों वाली एक युवा टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसका नेतृत्व कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशिलता (एमएसडीई) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने किया। 43 वें विश्व कुशल प्रतिस्पर्धा साओ पाओलो, ब्राजील में आयोजित की गई थी। भारतीय टीम की प्रतिस्पर्धा 59 अन्य विश्व कुशल सदस्य देशों से आए 1000 से अधिक उम्मीदवारों के साथ थी।

विश्व कुशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, 2015 (साओ पाउलो, ब्राजील) में उत्कृष्टता के लिए पदकों के विजेता इस प्रकार हैं

क्र.सं.	**कौशल श्रेणी**	**प्रतियोगी**	**शहर**
1.	सौन्दर्य उपचारसु	श्री नेहा चंदे	मुंबई
2.	ईंट बिछाने	श्री परशुराम नायक	पुणे
3.	ग्राफ़िक डिज़ाइन	श्री श्रीराम गोविंदसामी	चेन्नई
4.	हेयर ड्रेसिंग	श्री प्रदीप वेद	उदयपुर
5.	आभूषण बनाने	श्री सुरजीत कुमार राणा	कोलकाता
6.	प्रोटोटाइप मॉडलिंग	श्री अभिषेक बी.एस.	बैंगलोर
7.	प्लास्टिक इंजीनियरिंग मरो	श्री सुनील कुमार शर्मा	कोयम्बटूर
8.	वेल्डिंग	श्री सचिन नराले	पुण

सभी 8 पदक विजेताओं को उनके विशेषज्ञों सहित सम्मानित किया गया और प्रत्येक को 1 लाख रू. का नकद पुरस्कार दिया गया। 44 वें विश्व कुशल प्रतिस्पर्धा अक्टूबर, 2017 में अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी।

12 जनवरी, 2016 को मुंबई में अंतराष्ट्रीय विश्व कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन

2014-15 के दौरान एनएसडीसी का कार्य-निष्पादन

मद	ब्योरा
अनुमोदित प्रस्ताव	267
एसएससी अनुमोदित	39
इस वर्ष प्रशिक्षित उम्मीदवारों	7,33,536
सक्रिय केन्द्र (ब्योरा) (इसमें 394 मोबाइल केन्द्र शामिल है)	4415
सम्मिलित राज्य	28
सम्मिलित संघ राज्य क्षेत्र	5
प्लेसमेंट प्रतिशत	55%
सम्मिलित जिल	537
सक्रिय पाठ्यक्रम	1552
मानकीकृत जॉब रोल	1319

** प्लेसमेंट प्रतिशत एनएसडीसी वित्त पोषित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रशिक्षण पर आधारित है और इसमें स्टार और उड़ान जैसी विशेष स्कीमों के तहत दिया गया प्रशिक्षण शामिल नहीं है

आईटीआई बालाघाट - मध्य प्रदेश

4.4 सेक्टर स्किल परिषदें

सेक्टर स्किल कौंसिलों की स्थापना नेशनल स्किल कौंसिल द्वारा स्व-शासकीय निकाय और 'मुनाफे के लिए नही' संगठन के तौर पर हुई है। ये पेशेवर मानकों का सृजन तथा सक्षमता फ्रेमवर्क विकसित करते हैं, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ते हैं, अपने सेक्टरों में स्किल अंतराल अध्ययन करते हैं, जिससे लेबर मार्किट इन्फार्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके द्वारा विकसित नेशनल आकूपेशनल स्टैंडर्ड का आकलन और प्रमाणन करते हैं।

सेक्टर स्किल कौंसिलें नेशनल पार्टनरशिप आर्गनाइजेशन को इस तरह से निर्मित करती हैं कि सभी हित धारक-उद्योग, श्रमिक और अकादमियां एक साथ आ सकें। आज की तारीख में 40 स्किल कौंसिल अनुमोदित हो चुकी हैं, जिनमें सभी उच्च प्रगतिशील सेक्टर यथा आटोमोटिव, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण आदि और अनौपचारिक सेक्टर जैसे सौंदर्य और स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और प्लंबिंग आते हैं। इस सूची में सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता सेक्टर तथा मेक इन इंडिया के 25 सेक्टर आते हैं।

एसएससी का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के उद्योग लीडर करते हैं। उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य एसएससी का नेतृत्व डा. नरेश त्रेहान, निर्माण एसएससी का श्री अजित गुलाबचंद, इलेक्ट्रोनिक्स एसएससी का श्री अजय चौधरी, टेलीकॉम एसएससी का श्री अखिल गुप्ता, आटोमोटिव का श्री विनोद दसारी, प्लंबिंग एसएससी का श्री आर.के. सोमानी, चमड़ा एसएससी का श्री हबीब हुसैन तथा पोशाक का डा. शक्तिवेल आदि।

एनएसडीसी, अपने क्षेत्र कौशल परिषदों की मदद से 28 सेक्टरों में 251 लोकप्रिय नौकरी भूमिकाओं की पहचान की है, जिसके लिए मॉडल पाठ्यक्रम पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। प्रत्येक मॉडल पाठ्यक्रम एक विशिष्ट योग्यता पैक करने के लिए मैप किया गया है, जिसमें विशिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के साथ मॉड्यूलों का संरेखण है। इसके अलावा, उपकरण, सिद्धांत और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए प्रैक्टिकल अवधि विस्तृत है। प्रशिक्षक पूर्व-अपेक्षाएं तथा आकलन मापदंड लक्षित अर्हता पैक को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के बाद यह सुनिश्चित होगा कि मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन इन अर्हता पैक में आयोजित की जा रही है।

तालिका: विकसित मॉडल पाठ्यचर्या का सेक्टर-वार ब्योरा

क्र. सं.	सेक्टर	# अर्हता पैक्स, जिसके लिए मॉडल पाठ्यचर्या जारी की गई है
1	कृषि	15
2	परिधान	5
3	आटोमोटिव	5
4	सौंदर्य और कल्याण	10
5	बीएफएसआई	10
6	पूंजीगत सामग्री	10
7	निर्माण	10
8	इलेक्ट्रानिक्स और हार्डवेयर	10
9	खाद्य प्रसंस्करण	10
10	फर्नीचर एवं फिटिंग	5
11	रत्न एवं आभूषण	13
12	ग्रीन नौकरियां	5
13	हस्तशिल्प	7
14	स्वास्थ्य देखभाल	10
15	बुनियादी सुविधाओं के उपकरण	8
16	लौह एवं इस्पात	11
17	आईटी-आईटीईज	12
18	चमड़ा	11
19	जीवन विज्ञान	8
20	खनन	11
21	प्लंबिंग	4
22	विद्युत	4
23	खुदरा	7
24	रबर	7
25	सुरक्षा	6
26	दूरसंचार	10
27	कपड़ा और हथकरघा	17
28	पर्यटन और आतिथ्य	10
		251

एसएससीज की उपलब्धियां

एनएसडीसी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद से एसएससी ने निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की है:-

- एसएससी की संचालन परिषदों में 460 से अधिक कारपोरेट और सरकारी लीडर प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एसएससी के पास डोमेन और प्रकार्यात्मक विशेषज्ञता के साथ पूर्ण-रूपेण विशेषज्ञ टीम है।
- 33 एसएससी ने 1,600 क्वालिफिकेशन पैक्स सृजित किए हैं, जिनमें 4,412 विशिष्ट नेशनल ओकूपेशनल स्टेंडर्ड हैं। इन्हें 1,7600 से अधिक कंपनियों ने विधिमान्य किया है।
- एसएससी ने 20 लाख से अधिक प्रशिक्षकों का आकलन करके प्रमाणित किया है।
- स्टार स्कीम के अंतर्गत एसएससी ने 17,250 केंद्रों के साथ 719 प्रशिक्षण संगठनों का संबंधन किया है। 2,808 आकलनकर्ताओं के साथ 29 आकलन एजेंसियों का संबंधन है।
- क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससीज) ने संगठनों के कर्मचारियों को उनके कार्य-स्थल पर ही प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गठजोड़ किया है। इनमें खुदरा, रबड़, प्लम्बिंग, आटोमोटिव आदि के कर्मचारी शामिल हैं। 500 से अधिक कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे एसएससी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर्मचारियों को तरजीह देंगी।
- एनएसडीसी के माध्यम से एसएससी बहुत प्रकार की एजेंसियों, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, शैक्षिक निकायें और संस्थानों तथा कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्यों के साथ काम कर रही हैं।
- एसएससी ने राज्य सरकारों के सेक्टर-विशेष के विकास-उद्देश्यों के लिए वैचारिक नेतृत्व और प्रमाणित तथा कौशलयुक्त मानव-शक्ति उपलब्ध कराकर निवेश के लिए परिवेश तैयार किया है।

एसएससी विकलांग व्यक्तियों, पंचायत जैसी स्थानीय प्रशासनिक संस्थानों तथा ग्रामीण उद्यमियों जैसे विशिष्ट समूहों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का समाधान भी निकॉलती है।

12 जनवरी, 2016 को मुंबई में राष्ट्रीय कौशल उद्योग सम्मेलन में माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री वेंकैया नायडू

4.5 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है और जिसका उद्देश्य, ट्रस्ट के कोषों को एकत्रित करना और इसके उपयोग द्वारा, देश में रोजगार योग्य युवाओं में कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना और इन्हें प्रोत्साहित करना तथा एन एस डी सी साधनों के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करना है। इसके साथ ही ट्रस्ट द्वारा अपने योगदान कर्ताओं से प्राप्त धन के संरक्षक के रूप में कार्य भी किया जाता है। यह अपने उद्देश्यों को आगे पूरा करने के लिए योगदान कर्ताओं से दान के रूप में नकद या वस्तु के रूप में योगदान स्वीकार करती है। इसे भारत सरकार द्वारा नियुक्तन्यासी बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

निधि अपने उद्देश्यों को राष्ट्रीय कौशल निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से पूरा करता है करता है जोकि उद्योग द्वारा चलाई जा रही 'अलाभकारी कंपनी' है, जिसकी स्थापना कौशल विकास क्षमता निर्माण और बाजार के साथ मजबूत संबंधों को गढ़ने की कोशिश के लिए की गई है। एनएसडीसी कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों के लिए धन उपलब्ध करा कर, कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह निजी क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मॉडलों को प्रोत्साहन, सहयोग तथा समन्वय भी करती है। अब तक राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण और मौद्रिक पुरस्कार योजना (स्टार), उड़ान योजना (जम्मू एवं कश्मीर उन्नमुखी) सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 2838 करोड़ रू. दिए जा चुके है। 17.01.2016 की स्थिति के अपनुसार एनएसडीसी ने 249 प्रशिक्षण सहभागियों और 3222 प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ मिलकर अब तक भारत भर में लगभग 55.70 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है।

एनएसडीएफ एनएसडीसी के माध्यम से कॉर्पोरेट्स, आधार, सरकार और समुदाय आधारित संगठनों के साथ संरचना उच्च प्रभाव सहयोगात्मक परियोजनाओं पर काम करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 जो 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुआ, में भारतीय कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का कार्य सौंपता है। पिछले एक साल से इन दिशा-निर्देशों के संरेखण में कौशल विकास परियोजनाओं के लिए निधि प्राप्त करने के लिए एनएसडीसी ने एक मजबूत ढांचा विकसित किया गया है, जबकि कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने विगत में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमो को समर्थन किया है। यह अधिनियम एक संरचित तरीके से निधि प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। आज, एनएसडीसी अपने प्रशिक्षण संगठनों के माध्यम से अपने देशव्यापी उपस्थिति के कारण संरचना डिजाइन और कौशल विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिए किसी भी संस्था की सहायता कर सकती है। सभी परियोजनाएं एनएसडीसी के अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित हो रही हैं। परियोजना परिणामों की निगरानी और रिपोर्टिंग एनएसडीसी द्वारा केन्द्रित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। एनएसडीसी सक्रिय रूप से आउटरीच घटनाओं, उद्योग मंच, एक-एक परामर्श द्वारा और अन्य तरीकों के माध्यम से कौशल विकास के लिए वकालत करने हेतु सीएसआर चर्चा में भाग लेती है।

कौशल विकास के लिए एनएसडीसी सीएसआर आबद्धताएं:

1) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2) चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल)
3) एनटीपीसी ।
4) एस्सार समूह फाउंडेशन
5) एनटीपीसी ।।
6) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)
7) कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस (सीएएमएस)
8) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
9) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल)

4.6 राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड)

राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता के तहत एक सोसायटी है, जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन में संलग्न है। संस्थान वर्ष 2007-08 के बाद से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया है।

संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक एकीकृत कैम्पस से काम कर रही है, जो 40,000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थापित है। इसके अवसंरचनात्मक ढांचे में 8 क्लास रूम, 1 सभागार, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा पुस्तकालय शामिल हैं। यहां 32 कमरों और अन्य सुविधाओं से युक्त एक छात्रावास भी है।

मुख्य गतिविधियाँ

संस्थान अन्य बातों के साथ प्रमुख गतिविधियों में शामिल है:

- **प्रशिक्षण:** संस्थान द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों (टीटीपीज); प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपीज); विभागों के प्रमुख (विभागाध्यक्षों) और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम; उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (इएसडीपीज); उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपीज) और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष रूप से डिजाइन प्रायोजित गतिविधियां शामिल हैं।
- **अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन:** प्राथमिक/बुनियादी अनुसंधान के अलावा ये संस्थान विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन-कौशल अंतराल अध्ययनों, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण आदि संबंधी समीक्षा/मूल्यांकन कर रहा है। इन गतिविधियों का व्यापक उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर की प्रोन्नति है।
- **पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम का विकास:** संस्थान उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह भी एमएसएमई मंत्रालय के आम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण में सहायता प्रदान की है।
- **क्लस्टर हस्तक्षेप:** संस्थान सक्रिय रूप से विभिन्न क्षमताओं में समूहों में विकास कार्यक्रमों (सॉफ्ट और हार्ड हस्तक्षेप) के उपक्रम में शामिल किया गया है। संस्थान ने अब तक कुल 24 औद्योगिक समूहों को संभाला है। संस्थान पीएमकेवीवाई के घटक "पूर्व शिक्षण मान्यता' के तहत सुविधा के रूप में काम कर रहा है।
- **इन्क्यूबेशन केन्द्र:** इनक्यूबेटर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और संस्थान के परिसर में कार्य, सिलाई, मोबाइल के क्षेत्र में रियल फैक्ट्री/बाजार परिस्थिति/ मोबाइल मरम्मत, गृह सज्जा उत्पादों, ब्यूटीशियन और कला इंक्यूबेशन में हस्त प्रशिक्षण प्रदान करने और लाभार्थियों का इन गतिविधियों से परिचित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्नलिखित गतिविधियां उसी के लिए आयोजित कर रहे हैं:
  - स्व-रोजगार मेला
  - राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्र के रूप में कार्य
  - व्यापार योजना की तैयारी
  - वित्तीय संस्थानों/सपोर्ट संगठन (संगठनों) के साथ संस्थागत व्यवस्था
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के साथ लिंकेज
  - प्रशिक्षण पश्चात प्रतिभागियों के साथ फालोअप
- **उद्यम सृजन और प्रशिक्षुओं को रोजगार सहायता हेतु हैंड-होल्डिंग:** संस्थान उपयुक्त मजदूरी रोजगार खोजने के लिए, यदि वे स्व-रोजगार के लिए विकल्प नहीं है, तो स्व-रोजगार में रुचि वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार, एक इंट्रक्शन प्लेटफार्म, जिसे रोजगार मेला कहा जाता है, संभावित कर्मचारियों और प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है।
- **सहयोगी गतिविधियों:** विभिन्न घरेलू और विदेशी/बहुपक्षीय संस्थानों सहित पश्चिम बंगाल सरकार, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी), विश्व बैंक समूह का एक सदस्य अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), स्नैपडील आदि को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता संस्कृति/विभिन्न लक्षित समूहों के लिए समर्थन सेवाओं का प्रावधान।
- **अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप:** संस्थान अलग-अलग देशों से प्रतिभागियों के लिए विदेश मंत्रालय की फैलोशिप के आईटीईसी/एससीएएपी/कोलंबो योजना के तहत 8 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, संस्थान डिजाइन और विदेशी एजेंसियों के लिए विशेष/अनुरोध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक क्षमता का आकलन करने में मुख्य रूप से परामर्श कार्य के माध्यम से अन्य देशों की सहायता कर रहा है।
- **परामर्श सेवाएं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय):** उद्यमशीलता के क्षेत्र में विशेष रूप से एमएसएमई के लिए परामर्श सेवाओं की पेशकश। यह या तो अन्य सरकारी या निजी क्षेत्र में उद्यमी प्रशिक्षण में लगे संस्थाओं को सलाह और परामर्श प्रदान करता है। सरकारों (दोनों केंद्रीय व राज्य) और विदेशी सरकारों के साथ उद्यमशीलता और लघु उद्योगों के क्षेत्र में परामर्श देना।

वर्ष 2015-16 की उपलब्धियां

संस्थान ने वर्ष 2015-16 के दौरान फरवरी, 2016 तक 4,11,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया। इसमें से लगभग 3,50,000 को सीडी आधारित उद्यमशीलता प्रबोधन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 में संस्थान ने 16,578 प्रतिभागियों को श्रम रोजगार पाने के लिए उनकी यूनिट और 48,765 स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। संस्थान मार्च, 2016 के अंत तक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के एक प्रायोगिक परियोजना के तहत 10,000 उद्यमियों को तैयार करेगा।

4.7 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान

भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) का गठन गुवाहाटी में वर्ष 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, एसएसआई तथा एआरआई विभाग (अब कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता विकास पर ध्यान केंद्रित करना, छोटे और लघु उद्यमों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों का कार्य करना है। यह एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन है।

यह संस्थान लालमाटी, वशिष्ठ चराईली, 37 राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास, गुवाहाटी में स्थित है। संस्थान में दो प्रशासनिक ब्लॉक, दो छात्रावास, २४ स्टाफ क्वार्टर, अधिकारियों के लिए 12 फ्लैट और आईआईई के परिसर के अंदर निदेशक के लिए एक आवास हैं। संस्थान में नगालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय - सात राज्यों के राज्य कार्यालय भी हैं।

उद्देश्य

1. उद्यमशीलता का विकास और बढ़ावा देना।
2. अनुसंधान का संचालन और उद्यमशीलता विकास के लिए परामर्श प्रदान करना।
3. प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थान की पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियों हेतु अन्य संगठनों के साथ सहयोग और समन्वय करना।
4. संभावित उद्यमियों के लिए परामर्शदायी और निगरानी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रतिभागियों की नियोजनियता में बृद्धि करना
5. आईआईई की गतिविधियों/सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देना।
6. वैधानिक जिम्मेदारी के साथ अनुपालन करना।

कार्य

1. विभिन्न लक्ष्यित समूहों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों की डिजाइनिंग और आयोजन तथा संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना।
2. परिवर्तनकारी एजेंटों और विकासकारी भागीदारों प्रशिक्षक और उद्यमशीलता निर्माणरत संगठनों की सहायता करने वालों के लिए दक्षता, प्रभावशीलता में सुधार।
३. संभावित और मौजूदा उद्यमियों को परामर्श सेवा प्रदान करना।
4. सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों की पहुंच बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से उनका प्रभाव बढ़ाना।

मुख्य गतिविधियाँ

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** संस्थान भावी उद्यमियों, छात्रों, शिक्षकों, विकास पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रमों हैं: उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी; उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम / शिविर (ईएपी / ईएसी); प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी); संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी); कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी); प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) ; उद्यमशीलता अभिविन्यास कार्यक्रम (ईओपी); और इन्क्यूबेशन प्रशिक्षण।
- **अनुसंधान:** संस्थान या तो स्वयं या प्रायोजित आधार पर शोध और अध्ययन चलाती है और पूर्वोत्तर भारत और उससे आगे के विकास के लिए एसएमई के विकास के क्षेत्र में और परामर्श प्रदान करता है। संस्थान एक उत्प्रेरक और एसएमई क्षेत्र में उद्यमशीलता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने पर विभिन्न आदान-प्रदान करने हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी संगठनों और योजनाओं का मूल्यांकन है। एसएमई के विकास पर अनुसंधान भी किया जाता है।

- **कंसल्टेंसी:** यह उद्यमशीलता सहित, एंटरप्राइज नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में सलाह और परामर्श प्रदान करता है, जिसमें उद्यम प्रबंधन; उद्यम विस्तार, विविधिकरण और विकास; प्रबंधन-सलाह; सीमावर्ती व्यापार तथा निर्यात पर विशेषज्ञता के साथ परामर्श; प्रौद्योगिकी सोर्सिंग; प्रौद्योगिकी प्रसार; परियोजना और अन्य रिपोर्टें शामिल हैं।
- **सेमिनार और कार्यशालाएं:** यह संस्थान स्व-रोजगार और उद्यमशीलता, वर्तमान विषयों और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर अनुभवों को साझा करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओ का आयोजन करता है। इसके अलावा, संस्थान परियोजनाओं को शुरू करने और उनकी समस्याओं एवं उनके सफल समाधान हेतु उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित करता है।
- **परियोजनाएं:** संस्थान ने विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं, यथा सतत आजीविका संवर्धन केंद्र (सीएसपीएल); क्लस्टर विकास हेतु क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र (आरआरसी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास परियोजना (एसटीईडी) और ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आरआईपी)।
- **प्रकाशन:** संस्थान समाचार पत्र, किताबें, वार्षिक रिपोर्ट, अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

मैकेनिक मोटर आईटीआई मंडल मध्य प्रदेश में कार्य का प्रदर्शन

सहयोग

भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एनएसएस सेल); राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग; वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी); नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस); 'स्फूर्ति' के लिए नोडल एजेंसी-(एमएसएमई); 'एस्पायर' और 'स्फूर्ति' के लिए तकनीकी एजेंसी-(एमएसएमई) आरआरसी; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (आईआईएफसीएल-एनएसटीएफडीसी के लिए, सीएसआर कार्यान्वयन); ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल-दुलियाजान); केन्द्रीय रेशम बोर्ड; राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी); हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच); राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी); वाणिज्य एवं उद्योग का पीएचडी चैंबर (पीएचडीसीसीआई); गुवाहाटी विश्वविद्यालय (जीयू); असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय (एआरजीयूसीएम) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

उपलब्धियां

ईडीपी, ईएसडीपी, एमडीपी, ईएसी, ईएपी, सेमिनार तथा कार्यशाला आदि में आईआईई द्वारा 2899 प्रतिभागी प्रशिक्षण किए गए। 31 मार्च, 2016 तक यह अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 11380 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण पूरा करेगा। इनमें से 6000 उद्यमी तैयार किए जाएंगे। इसने ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर परियोजना को कार्यरूप देते हुए 660 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया तथा 528 व्यक्तियों को स्व/कार्य नियोजन में तैनाती प्रदान की। इसे असम के 25 जिलों में ईएसटीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए असम सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एनयूएलएम परियोजना सौंपी गई है। आईआईई ने 210 जेएफएमसी और ईडीसीसी को सतत् आजीविका उपलब्ध कराने के लिए असम स्टेट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसायटी की फ्रांसिसी सरकार द्वारा वित्त-पोषित कोम्पेलो परियोजना भी हासिल की। इसे एमएसएमई की पुनर्गठित 'स्फूर्ति' एवं 'एस्पायर' परियोजना के लिए नोडल तथा तकनीकी एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा इसे 8 क्लस्टर की स्वीकृति और 3 एलबीआई का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है। एनएसटीएफडीसी ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 8 सीएसआर परियोजना सौंपी है। आईआईई ने परिसर में 2 बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित करने के साथ-साथ उद्यमी मित्र सेल और जॉब-स्किल एक्सचेंज की स्थापना भी की है। आईआईई ने बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए 'ग्रीन एंटरप्रिनियोर्स हाट' और 'एंटरप्रिनियोर्स हाट' स्थापित किए हैं तथा आईआईटीएफ, आईएचजीएफ, पूर्वोत्तर डेस्टीनेशन मेलों में भाग लिया है। 260 नि:शक्तजनों को सक्षम बनाया है तथा 800 ओबीसी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण किया है।

मंत्रालय की प्रमुख स्कीमें

15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

5. मंत्रालय की प्रमुख स्कीमें

5.1 प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण फ्लेगशिप स्कीम है। इस कौशल प्रमाणीकरण और इनामी स्कीम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए सक्षम बनाना और इन्हें संगठित करने के साथ-साथ रोजगार योग्य बनाना एवं अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए तैयार करना है। इस स्कीम के तहत, उन प्रशिक्षणार्थियों को मौद्रिक इनाम प्रदान किए जाएगें जो सम्बदध्प्रशिक्षण प्रदात्ताओं द्वारा चलाए जा रहे इन कौशल पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। यह स्कीम कैबिनेट के द्वारा 20 मार्च, 2015 को अनुमोदित की गई थी। यह **1500 करोड़ रू.** परिव्यय वाली स्कीम है, जिसका उद्देश्य **24 लाख व्यक्तियों** को प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करना है **(14 लाख नए प्रशिक्षार्थी तथा 10 लाख आरपीएल)**। इस स्कीम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.1.1 पीएमकेवीवाई की मुख्य विशेषताएं हैं:

- **मांग-आधारित:** केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सेक्टर कौशल परिषदों, राज्य सरकार, उद्योग और व्यवसायों से प्राप्त फीडबैक तथा 'कौशल अंतराल अध्ययनों' से सृजित कौशल मांग आकलन आधारित लक्ष्य
- **स्थानीय शिविर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण ('कौशल मेला') हेतु संगठित करना:** राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का सहयोग, सांसदों और नागरिक सेवा केन्द्रों के सदस्य (सीएससी) की भागीदारी
- पीएमकेवीवाई के तहत कौशल प्रशिक्षण **श्रम बाजार के लिए नवागंतुकों पर केंद्रित** है, ज्यादातर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बाद **स्कूल छोड़ने वाले छात्र**
- जिन प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं, के लिए **मेंटरशिप का प्रावधान**। प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए मेंटरशिप और तैनाती हेतु प्रोत्साहन
- 10% समर्पित निधि आवंटन के माध्यम से **पूर्वोत्तर राज्यों** पर फोकस
- **50,000 व्यक्तियों** का समावेश
- पीएमकेवीवाई के तहत **प्रशिक्षण प्रदाताओं का पंजीकरण अधिक मजबूत बना दिया गया है**, सरकारी प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार गुजरना होगा।
- **बेहतर पाठ्यक्रम, बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षित अनुदेशक:** सभी कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, साफ-सफाई के लिए व्यवहार में परिवर्तन और अच्छे काम संबंधी नैतिकता को शामिल किया जाएगा।
- **बढ़ी निगरानी:** एसएससीज को कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के सभी प्रशिक्षण केंद्रों के ब्योरा रिकॉर्डिंग और पुष्टिकरण का काम सौंपा है और आकलन के दौरान प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से प्रशिक्षण स्थानों और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का पता लगाना भी शामिल है।

पीएमकेवीवाई की मुख्य विशेषताएं

मानक	प्रत्यक्ष निधि अंतरण	मांग संचालित लक्ष्य	राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम तथा प्रदेशों के अनुरूप लक्ष्य	लक्ष्य निर्धारण में आपूर्ति का परिपेक्ष्य
पूर्व-शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	आर्थिक पुरस्कार की परिवर्ती राशि	प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण हेतु सुगठित तंत्र	केंद्रभूत जागरूकता निर्माण तथा गतिविधियों की गतिशीलता	वर्धित निगरानी तथा संरक्षण आधार

- **मूल्यांकन:** आकलन के समय प्रशिक्षार्थी से विधि मान्य मानक फोरमेट में प्राप्त फीडबैक आकलन और भविष्य में पीएमकेवीवाई के संवर्धन में आकलन और प्रभावशालीता का मूल्यांकन ढांचे का मुख्य तत्व होगा।
- **शिकायत निवारण:** निवारण तंत्र एक उचित शिकायत जगह में डाल दिया जाएगा। पीएमकेवीवाई के बारे में जानकारी के सूचनार्थ और प्रसार के लिए ऑन-लाइन नागरिक पोर्टल पर डाला जाएगा।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए 5000 रुपये से 12,500 रुपये की **सांकेतिक पुरस्कार राशि** के साथ विनिर्माण, प्लंबिंग और निर्माण क्षेत्रों के लिए उच्चतर इनाम राशि रखी गई है।
- पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के लिए विनिर्माण, प्लंबिंग और निर्माण क्षेत्रों के लिए सूचक पुरस्कार राशि 2,500 करोड़ रुपये और अन्य सेक्टरों के लिए 2,000 रूपये होगी।

4.1.2 **वर्तमान स्थिति (01.03.2016 की तिथि के अनुसार)**

- 15 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई
- 261 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को संगठित करने के लिए 410 कौशल मेलों का आयोजित
- देश के 596 जिलों में पीएमकेवीवाई के तहत 15 लाख से अधिक युवाओं को नामांकित
- 375 जॉब रोलों में 8749 केंद्रों में प्रशिक्षण का आयोजन

5.2 उडान

5.2.1 प्रधानमंत्री की विशेष उद्योग पहल के अंतर्गत गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को जम्मू-कश्मीर के रोजगार और कौशल क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के बारे में कार्पोरेट सेक्टर के साथ कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है। "उडान" के नाम से विशेष उद्योग पहल का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर के 40,000 ऐसे बेरोजगार युवकों को अगले पांच वर्ष की अवधि में कौशल और नियोजनीयता प्रदान करने का लक्ष्य है जो स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा तीन वर्षीय इंजिनियरी डिप्लोमाधारी है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के स्नातकों और स्नातकोत्तरों को 'सर्वोत्तम कार्पोरेट इंडिया' के रूप में प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना है तथा कार्पोरेट इंडिया को भी राज्य में उपलब्ध प्रचुर प्रतिभा समूह के लिए अवसर प्रदान करना है।

5.2.2 रिटेल, आईटी, आईटीज, विनिर्माण, बीएफएसआई, ऑटो, रियल एस्टेट, अवसंरचना और वस्त्र आदि जैसे भिन्न-भिन्न सेक्टरों में 69 अग्रणी कार्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगले पांच वर्ष की अवधि में 78,730 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीसीएस, इंफोसिस, एक्सेंचर, केपीएमजी, इंडियन ओवरसीज बैंक, येस बैंक, अपोलो मेडिस्किल, फ्रॉस्ट एवं सूलीवॉन, बजाज आलियांज, टाटा मोटर्स, जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट आदि जैसे 69 कार्पोरेटों ने अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 62 उडान मेगा चयन अभियान चलाया है और भिन्न-भिन्न सेक्टरों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 11,104 उम्मीदवारों का चयन किया है। उडान मेगा अभियान एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता हैं, जहां बहुत से कार्पोरेट संयुक्त रूप से जम्मू और कश्मीर के युवाओं को संगठित करने के लिए राज्य भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

5.2.3 इस स्कीम से भिन्न-भिन्न सेक्टरों में 64,059 से अधिक युवाओं को लगाया गया है। अब तक 17,915 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण जॉइन किया है, जिसमें से इस समय 6,649 उम्मीदवार भारत के 15 शहरों में प्रशिक्षण ले रहे है। 9,871 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें से 7,499 उम्मीदवारों को तैनाती दी गई है।

5.2.4 वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं:

i) उड़ान ने विश्व शिक्षा अवार्ड 2015 जीती

ii) सभी कार्पोरेटों ने अपने-अपने प्रशिक्षण केंद्रों में विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया। श्री रजित पुंहानी, संयुक्त सचिव (जम्मू-कश्मीर), गृह मंत्रालय ने एक्सेंचर गुड़गांव केंद्र का दौरा किया। उम्मीदवारों से उन्होंने परस्पर वार्तालाप किया और प्रशिक्षण में सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया

iii) जम्मू-कश्मीर के राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपलों के प्रतिनिधिमंण्डल ने दिल्ली/एनसीआर में स्थित उड़ान प्रशिक्षण केंद्रों का सितंबर, 2015 के मध्य में दौरा किया

iv) पोर्टल पर डेटाबेस के साथ एकीकरण आधार - उड़ान मेगा अभियान के दौरान नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवेश बिंदु में ही आधार अनुपालन सुनिश्चित किया गया

v) उड़ान मोबाइल एप्लिकेशन - दर्शकों के लक्ष्य को सूचनाएं प्रदान करने के साथ अभियान पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा

vi) राज्य से स्थानीय निकायों की आबद्धता - कॉलेज प्रधानाध्यापकों, बीडीओ, डीसीएस, रोजगार कार्यालय, छात्र राजदूतों की सक्रिय भागीदारी और उड़ान मिशन प्रबंधन इकाई के कार्यान्वयन स्कीम को अधिक सुदृढ़ करना

vii) स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक साल में अब तक 50 + केंद्रों का दौरा

5.3 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम

5.3.1 13,105 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क, जिनमें सरकारी (2,293) और निजी (10,812) हैं, के माध्यम से देश भर में स्थित शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य कुल 18.65 लाख की बैठने की क्षमता 136 व्यवसाय उद्योग के लिए कुशल कार्यबल प्रदान करना है। 14 वर्ष या अधिक के उम्मीदवारों को इस प्रशिक्षण के तहत नामांकित किया जा सकता है।

5.3.2 सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे में 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में लगभग 5,114 से 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में 13,105 के स्तर तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। 31.08.2015 की स्थिति के अनुसार 2007 में बैठने की क्षमता 7.42 लाख से बढ़कर 18.65 लाख हो गई थी।

15 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उपस्थित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति

5.3.3 स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जीवनपर्यंत कैरियर उपलब्ध कराना
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल को कौशल/बहु-कौशल के उपयुक्त बनाना
- कुशल रोजगार प्रदान कर युवाओं को उत्पादक बनाने के लिए मजदूरी और उद्यमशीलता दोनों को बढ़ावा देना
- शिल्पकारों में उच्च गुणवत्ता उत्पन्न करना
- उद्योगिक/सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की सतत प्रवास सुनिश्चित करना
- उद्योगिक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को संभावित कार्यकर्ताओं के व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाना

5.3.4 स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

- 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उम्मीदवार सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं
- सरकारी और निजी आईटीआई में दाखिला हर साल अगस्त महीने में किया जाता है
- संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आईटीआई में शिक्षण शुल्क निर्धारण को यथोचित रूप से लागू किया गया है। डीजीटी/यूटी क्षेत्र प्रशासन के अधीन आने वाले संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण 100/- रू. प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह किया गया है। हालांकि कोई एससी/एसटी के उम्मीदवार और विशेष योग्य व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
- प्रशिक्षुओं को पुस्तकालय, खेल और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- सीटें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत सीटें और 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं, जो राज्य के सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकती हैं। कुल आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। संबंधित राज्यों में सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें का आरक्षण होगा।
- यहां ढांचागत सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार और अलग-अलग समय के साथ निजी और आईटीआई में दूसरे और तीसरे पारियों में प्रावधान है। वहां एक अतिरिक्त व्यापार प्रशिक्षण और प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षु किट नियुक्त करके दूसरी पारी को प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रत्येक सरकारी और निजी आईटीआई में एक 'प्लेसमेंट सेल' स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से स्नातकों को विभिन्न उद्योगों में तैनाती प्राप्त होगी।
- आईटीआई के लिए संस्थान प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसका गठन उद्योग और उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग में सुधार करने की दृष्टि से शीर्ष उद्योग निकायों की सलाह पर किया गया है।

15 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कुशल भारत मिशन का उद्घाटन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

5.4 शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम

5.4.1 कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रक्रिया विधि दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन हेतु इलैक्ट्रानिक्स संबंधी दो उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई-ईपीआईज) फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआई), विशेष रूप से महिलाओं के लिए 15 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 12 निजी संस्थानों के माध्यम से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक लचीला बनाने के लिए परंपरागत एक वर्षीय प्रशिक्षण के स्थान पर शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण की सेमिस्टर पद्धति अगस्त, 2014 से आरंभ सत्र से इन संस्थानों में शुरू की गई है। इन संस्थानों की बैठने की कुल क्षमता लगभग 10,812 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष है। इन संस्थानों में एटीआईज/सीटीआई/एटीआई-एनवीटीआई/आरवीटीआईज में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-सेमिस्टर पद्धति के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से सामन्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। उपर्युक्त परीक्षा में बैठने वालों के लिए प्रवेश की पात्रता मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष संस्था से संबंधित व्यवसाय में एनसीवीटी प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा/डिग्री है।

5.4.2 अनुदेशक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान:

क. केंद्रीय संस्थान:

1. एटीआईज, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और लुधियाना
2. एटीआई-ईपीआईज, देहरादून और हैदराबाद
3. एफटीआई, बंगलुरू
4. सीटीआई, चेन्नई
5. एटीआईज, चाउडवार, कालीकट, हल्दवानी, जोधपुर (पहले एमआईटीआई)
6. नोएडा में महिलाओं के लिए एनवीटीआई
7. पानीपत, इंदौर, जयपुर, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलूर, कोलकाता, मुंबई, वडोदरा, पटना, त्रिची, शिमला, मोहाली, अगरतला में महिलाओं के लिए आरवीटीआई

ख. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान (15 निजी और राज्य सरकारी आईटीओटीज):

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	ई-मेल पता
1.	एसडीएम आईटीओटी, हिसार	sdmitc@rediffmail.com
2.	आधुनिक निजी आईटीओटी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	Modernआईटीओटीhimachal@rediffmail.com
3.	एसबीएस आईटीओटी, कालांवाली, सिरसा	sbsआईटीओटी@gmail.com
4.	एस गीता राम आईटीओटी, मटलोला, हिसार	Sh.ramitc@gmail.com
5.	सैयदवाद आईटीओटी, बागपत, उत्तर प्रदेश	admin@syadwad.org
6.	जैन आईटीओटी, फाजिल्का, पंजाब	Vikas.jain397@gmail.com
7.	सरस्वती आईटीओटी, पंजाब	saraswatiknowledgepoark@gmail.com
8.	शिवालिक आईटीओटी	Doctorahuja74@gmail.com
9.	एसआर आईटीओटी, अंबाला	sresambala@gmail.com
10.	खाटूजी आईटीओटी, फाजिल्का, पंजाब	khattujieducation@gmail.com
11.	बागड़ आईटीओटी, राजस्थान	Jyoti_foundation@yahoo.co.in
12.	सेंचुरियन आईटीओटी, ओडिशा	admissions@cutm.ac.in
13.	सरकारी आईटीओटी, रोहतक, हरियाणा	
14.	सरकारी आईटीओटी, तलचर, ओडिशा	
15.	सरकारी आईटीओटी, लखनऊ	

सीओई ब्लॉक्स - ओडिशा

5.5 कौशल विकास पहल स्कीम

5.5.1 एसडीआईएस का लक्ष्य समूचे क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के नेटवर्क के माध्यम से मई, 2007 से उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का विकास करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसडीआई योजना की गतिविधियां 1 जनवरी, 2012 से आरंभ एक ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2007-12) के दौरान, 500 करोड़ रू. के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, योजना के अंतर्गत, 407 करोड़ रू. राशि व्यय की गई और 13.67 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया अथवा प्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा ली गई। यह योजना कतिपय परिवर्तनों के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जारी रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रू. का परिव्यय रखा गया है। अनुमान है कि 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुल 25 लाख व्यक्तियों को कौशल प्रदान किया जाएगा तथा प्रमाणित किया जाएगा।

5.5.2 क्रमश: वीटीपी और आकलन निकायों (एवी) को प्रशिक्षण लागत तथा आकलन लागत और प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने संबंधी व्ययों को पूरा करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को डीजीटी द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। आज की तारीख तक योजना के अतर्गत 36.31 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया/परीक्षा ली गई है। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के प्रमाणपत्र दिए गए हैं। औपचारिक साधनों से अर्जित उम्मीदवारों के कौशल का पूर्ण-निर्धारित मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और सफल उम्मीदवारों को एनसीवीटी प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

5.5.3 **योजना की विशेषताएं:**

- इस समय 70 क्षेत्रों में विकसित 613 माड्यूल हैं। बाजार की आवश्यकता के आधार पर इन माड्यूलों को बढ़ाया तथा घटाया जाता है।
- स्फूर्ति और उद्यमशीलता कौशल के साथ विद्यार्थियों को सुसज्जित करने के लिए 300 घण्टों से अधिक के माड्यूलों हेतु साफ्ट एवं उद्यमशीलता कौशल माड्यूल संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है।
- ऐसे माड्यूलों को शामिल करने पर बल दिया जाता है, जिनमें रोजगार की संभावना होती है।
- सफल व्यक्तियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के तत्वावधान में प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को, जब वे इन क्षेत्रों से प्रशिक्षण हेतु आते हैं, डे-बोर्डिंग तथा परिवहन प्रभारों की अनुमति दी जाती है।
- वीटीपी में प्रशिक्षुओं की उपस्थिति लगाने के लिए बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित करना।
- वीटीपी द्वारा सफल प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन का पता लगाना और ब्योरे को वेब पोर्टल पर डालना।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ,3.84 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया और उनकी परीक्षा ली गई है (दिनांक 09.02.2016 की स्थिति के अनुसार

5.6 शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम

5.6.1 कार्य-स्थल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करते हुए उद्योग में प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम को नियमित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 लागू किया गया था। प्रशिक्षुओं की चार श्रेणियां होती हैं अर्थात व्यवसाय प्रशिक्षु, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (वयावसायिक) प्रशिक्षु। केवल व्यवसाय प्रशिक्षु ही डीजीटी के कार्यक्षेत्र में आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (वयावसायिक) प्रशिक्षु से संबंधित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह कार्य कानपूर, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डो के माध्यम से किया जाता है व्यवसाय प्रशिक्षुओं की योग्यताएं कक्षा 7 पास से कक्षा 12 पास (10 + 2) प्रणाली तक अलग-अलग होती हैं। तथापि, बीएससी उत्तीर्ण व्यक्ति कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए भी जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि ६ माह से लेकर ४ वर्षो तक अलग-अलग होती है।

5.6.2 भारत सरकार ने हाल ही में उद्योग में अनुभव की गई समस्याओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्रशिक्षुतावृत्ति क्षेत्र में अनेक विशिष्ट सुधार शुरू किए हैं। जैसा कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रशिक्षुता अधिनियम में मूलभूत सुधार किए गए हैं। हम एक स्व-व्यवस्थित प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भारत में प्रशिक्षुओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

5.6.3 एमएसडीई के अंतर्गत डीजीटी व्यवसाय प्रशिक्षुओं के बारे में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और फरीदाबाद में स्थित 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (आरडीएटी) केंद्र सरकार के उपक्रमों और विभागों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार राज्य सरकार के उपक्रमों/विभागों और निजी प्रतिष्ठानों में इस योजना को नियंत्रित करते हैं। 28,500 प्रतिष्ठानों में व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए नामित 259 व्यवसायों में 3.95 लाख सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से 2.20 लाख सीटों का उपयोग किया गया है।

शिक्षुता प्रशिक्षण पोर्टल का उद्घाटन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

5.6.4 व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण:

- न्यूनतम आयु 14 वर्ष है।
- कक्षा 8 पास से कक्षा 12 पास (10 + 2) प्रणाली तक अलग-अलग योग्यताएं।
- प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से लेकर 4 वर्ष तक भिन्न-भिन्न।
- प्रशिक्षण में प्राथमिक प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है, जिनका अनुकरण प्रत्येक व्यवसाय के लिए यथा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित निर्देशों के अनुसार कयिा जाएगा।
- प्राथमिक प्रशिक्षण और संबद्ध निर्देश सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों अथवा एक बीटीसी या आरआईसी के अंतर्गत स्थापित।
- 39 व्यवसाय समूहों में 259 व्यवसायों को निर्दिष्ट किया गया है।
- कामगारों के लिए प्रशिक्षुओं के निर्धारित अनुपात तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए सीटें निर्धारित की जाती हैं।
- प्रत्येक प्रशिक्षु और नियोक्ता को प्रशिक्षता प्रशिक्षण का एक करार करना पड़ता है, जिसे प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है।
- अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं को अपने-अपने दायित्वों को पूरा करना होता है।

5.7 आईटीआई उन्नयन स्कीम

आईटीआई के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण करना डीजीटी की पहले से चल रही गतिविधि है। इन गतिविधियों का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:

5.7.1 पाठ्यक्रम को अद्यतन करना:

- आईटीआई के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले व्यवसायों के पाठ्यक्रम को नियमित आधार पर अद्यतन बनाने के प्रयास किए जाते हैं। नए व्यवसायों को लागू किया जाता है और पुराने व्यवसायों को योजना से हटा दिया जाता है। इन गतिविधियों को व्यवसाय समितियों/मेंटर (परामर्शदाता) समितियों के सुस्थापित सिस्टम के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। परामर्शदाता समितियां पाठ्यक्रम में परिवर्तन, उपकरणों की आवश्यकता, अवधि, अध्ययन, मूल्यांकन प्रणालियों, दूरस्थ शिक्षा, प्रशिक्षण समर्थित प्रौद्योगिकी और अवस्थापना सुधारों आदि के निर्धारण सहित प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों के बारे में सुझाव देती हैं। हाल ही में 63 व्यवसायों के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया और सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग संयंत्र, मैकेनिक आटो बॉडी पेंटिंग, डाटा बेस सिस्टम सहायता आदि जैसे 21 नए व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 20 पुराने पड़ चुके व्यवसायों को भी बंद कर दिया गया है।
- अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर साक्षरता सहित स्फूर्ति कौशल को कौशल विकास संबंधी सभी प्रशिक्षणों का अभिन्न अंग बनाया जाता है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) की अधिसूचना के द्वारा एनएसक्यूएफ का अनुपालन करने हेतु सीटीएस के अंतर्गत पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की गई है। अभी तक, 33 व्यवसायों को एनएसक्यूएफ के लिए शामिल किया गया है।
- पाठ्यक्रम में संशोधनों पर आधारित नए क्षेत्रों में आईटीआई के अनुदेशकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, डीजीटी दूरस्थ ज्ञान मोड के माध्यम से आईटीआई के अनुदेशकों के लिए पुनश्चर्या शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए उपकरणों और मशीनरी को शामिल करने के साथ आईटीआई के अवस्थापना ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है, एन आईटीआई को पांच वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध किया जाता है।

5.7.2 आईटीआई के अवस्थापना ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण:

निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से आईटीआई का उन्नयन करके आईटीआई के असस्थापना ढांचे का आधुनिकीकरण किया गया है:

क. स्वदेशी संसाधनों के साथ 100 आईटीआई का उन्नयन

इस योजना का उद्देश्य बहु-कौशल कार्यबल तैयार करने के लिए मौजूदा 100 आईटीआई का "उत्कृष्टता केंद्र (सीओसी)" के रूप में उन्नयन करना था। इन आईटीआई को आईटीआई के भीतर ही उद्योग के एक विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने हेतु बहु-कौशल पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकासार्थ निधियां उपलब्ध कराई गई थीं। सरकारी आईटीआई की संख्या के अनुपात में 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, सिक्किम एवं उत्तर-पूर्व राज्यों को छोड़कार) में फैले हुए, 100 आईटीआई को इस योजना के अंतर्गत कबर किया गया है। यह योजना 2005-06 से 2009-10 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई थी। प्रत्येक आईटीआई केा 1.6 करोड़ रू की राशि आवंटित की गई थी। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मार्च, 2010 तक 115 करोड़ रू. की कुल केंद्रीय निधियां जारी की गई थीं।

ख. 400 सरकारी आईटीआई का उन्नयन-बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी)-विश्व बैंक सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण विकास परियोजना (वीटीआईपी):

व्यवसायिक प्रशिक्षण विकास परियोजना (वीटीआईपी) में 400 सरकारी आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 34 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। आईटीआई द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित उन्नयन के लिए आईटीआई को 2 से 3.5 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई है। योजना के उद्देश्य में आईटीआई अनुदेशकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि, 14 केंद्रीय संस्थानों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम विकास का सुदृढ़ीकरण, क्षमता विकास आदि भी शामिल हैं।

परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख संस्थागत सुधारों में आईटीआई स्तर पर संस्थागत प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन शामिल है, जिसका अध्यक्ष उद्योग से होगा। आधारभूत घटक में नई कक्षाओं और कार्यशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उपकरणों व मशीनरी औजारों का आधुनिकीकरण तथा अनुकूल वातावरण शामिल हैं।

परियोजना दिसंबर, 2007 में शुरू की गई थी और इसके सितंबर, 2016 तक चालू हो जने की संभावना है। अभी तक राज्यों और केंद्रीय रूप से वित्त-पोषित संस्थानों को 1768 करोड़ रू. जारी किए गए हैं, जिसमें से लगभग 1067 करोड़ रू. का सितंबर, 2015 तक उपयोग कर लिया गया है। इससे लगभग 83 प्रतिशत निधियों का उपयोग होने का पता चलता है।

5.7.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन:

पीपीपी योजना के माध्यम से 1369 सरकारी आईटीआई के उन्नयन की योजना के अंतर्गत, 1227 सरकारी आईटीआई को शामिल किया गया है और योजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक आईटीआई के साथ एक उद्योग सहभागी (आईपी) को संबद्ध किया गया है। एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का प्रत्येक आईटीआई में गठन किया गया है और उसकी अध्यक्षता उद्योग सहभागी द्वारा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा आईटीआई की आईएमसी सोसायटी को सीधे 2.50 करोड़ रू. प्रति आईटीआई का ब्याज मुक्त ऋण जारी किया गया था। आईएमसी सोसायटी को वित्तीय एवं शैक्षणिक स्वायत्ता दी गई है। आईएमसी द्वारा 10 वर्ष के ऋण स्थगन काल के साथ ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी होगी तथा उसके बाद यह 20 वर्षों की अवधि में समान वार्षिक किस्तों में होगी। इस योजना के अंतर्गत 31 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर किया गया है और 11वीं योजनावधि के दौरान समूचे देश की 1227 आईटीआई को 3067.50 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, आईटीआई में लगभग 5000 कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन कार्य कवर किया गया है।

5.7.4 सरकारी आईटीआई का आदर्श आईटीआई में उन्नयन

इस योजना के अंतर्गत, एक राज्य में मौजूदा आईटीआई का आदर्श आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है, जो उत्कृष्ट व्यवहारों, कुशल एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुपुर्दगी और निम्नलिखित द्वारा प्रभावी उद्योग संबंध को दर्शाने वाली एक संस्था के रूप में विकसित होगी:

- प्रशिक्षण में अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए स्थानीय उद्योगों के लिए एक मांग केंद्र के रूप में होना।
- स्थानीय उद्योगों के साथ बेहतर जुड़ाव।
- उद्योग की विशिष्ट कौशल आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उद्योग के साथ लचीले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना। ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए एनसीवीटी द्वारा जांच/मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र के उद्योगों का प्रशिक्षण।
- वर्तमान औद्योगिक कार्यबल का प्रशिक्षण।

प्रत्येक आईटीआई के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष उद्योग से होता है। आईएमसी में उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा सभी प्रमुख व्यवसायों को कबर करना होता है। आईएमसी को इसके दक्ष कार्यकरण हेतु अधिकार संप्नन बनाया जाता है।

योजना को 300 करोड़ रू. की कुल लागत से दिसंबर, 2014 में अनुमोदित किया गया था। योजना के लिए कार्यान्वयन की अवधि 3 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 तक है। अब तक परियोजना के अंतर्गत, 15 राज्यों से 15 आईटीआई का निर्धारण किया गया है और राज्य अंश सहित 35.50 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

इसके साथ ही उद्योग की बदलती आवश्यकताओं और विकसित प्रौद्योगिकी के साथ आईटीआई को अद्यतन रखने के लिए पहले से किए जा रहे उपरोक्त उपायों के अलावा, अवस्थापना और परिणाम दोनों पर आधारित क्राउड सोर्सिंग मोड, निरीक्षणों आदि के जरिए "आईटीआई की रेटिंग" की एक प्रणाली शुरू की गई है। आशा है कि इससे बाजार में भिन्नता पैदा होगी और उपयुक्त प्रोत्साहनों के साथ, कम मूल्यांकन वाली आईटीआई को दीर्घ कालीन आवस्थापना और निष्पादन को उन्नत करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5.8 सुदूर शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों, जो पिछले पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए गए हैं, को मौजूदा उद्यम-संगत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियमित रूप से अद्यतन पाठ्यक्रम अपेक्षित होते हैं। तथापि, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों और क्षमता दोनों की भारी कमी है। क्षमता संबंधी बाधाओं पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक समाधान के रूप में दूरस्थ ज्ञान प्रौद्योगिकी पर विचार किया गया था। प्रशिक्षण देने के लिए एक हब और स्पोक माडल को अपनाया गया है। मंत्रालय ने समूचे देश में पहुंच को अधिकतम करने और प्रशिक्षकों की यात्रा न्यूनतम करने हेतु 10 हब और 194 स्पोक्स का गठन किया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 18000 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5.9 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की स्कीमें

विगत वर्षों में केंद्रीय सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम, 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों में फैले हुए रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, कौशल विकास और उद्यमशीलता से संबंधित कुल 40 से अधिक स्कीमें चलाते हैं।

*अनेक केंद्रीय मंत्रालयों के स्कीमों के अंतर्गत 2014-15 के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों के संख्या के ब्योर अनुबंध-I में दिए गए हैं।

5.10 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान

देश के सेवा रहित ब्लाकों में पीपीपी मोड में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एमएसटीआई) की स्थापना करने की योजना अनुमोदन हेतु ईएफसी को भेज दी गई है।

- योजना में यह परिकल्पित है कि **देश के सभी सेवा रहित ब्लाकों में उच्च गुणवत्ता, सरकार समर्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश के सभी व्यक्तियों को दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण के अवसरों की पहुंच उपलब्ध है।** इस समय भारत में 2,500 से अधिक सेवा रहित ब्लाक हैं।
- योजना का पीपीपी घटक यह सुनिश्चित करेगा कि **सरकारी सहायता-अनुदान** के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदार से बदला-खरीद की जाए।
- **स्थिति:** आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) नोट पहले ही परिचालित किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने इसका समर्थन किया है।

5.11 राष्ट्रीय कौशल आकलन एवं प्रमाणन बोर्ड

अभी तक देश में मूल्यांकन की प्रक्रियाएं अधिक विखंडित एवं भिन्न-भिन्न हैं। मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में खराब विनियमन प्रक्रियाएं और असमानता से संपूर्ण कौशल मूल्यांकन पारिस्थितिकीय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

- मंत्रालय **राष्ट्रीय कौशल मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण बोर्ड** के लिए एक अवधारणा पर कार्य कर रहा है, जो **उद्योग आधारित एसएससी प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और सरकार द्वारा अधिकृत एनसीवीटी प्रमाणीकरण को एक साथ लाएगा।**
- बोर्ड देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) की अनुपालना में **परीक्षाओं, मूल्यांकनों और राष्ट्र स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान करने** के लिए एक स्टाप शॉप के रूप में कार्य करेगा।

एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में बोर्ड का गठन करने हेतु **वित्तीय वर्ष 2016-17 में 50 करोड़ रू.** का वित्त पोषण अनिवार्य है और यह **सुनिश्चित करते हुए कि देश में कौशल मूल्यांकन पारिस्थितिकीय पद्धति को उच्च मानक पर अनुरक्षित किया जाता है।**

5.12 एसटीईपीपी एवं स्ट्राईव

डीईए स्क्रीनिंग समिति द्वारा हाल ही में विश्व बैंक वित्त-पोषित दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

- एक बिलियन अमेरीकी डालर की कुल परियोजना लागत से **पीपीपी मोड में रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपीपी)** परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का संचालन करना है। यह गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना केने तथा उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षकों और विदेशी रोजगार के लिए क्षमता सृजित करने के अलावा, राज्यों और निगमित घरानों/उद्योगों दोनों को सहायता उपलब्ध कराएगा।
- आईटीआई का उन्नयन करने हेतु **स्ट्राईव** 466 मिलियन अमेरिकी डालर वाली एक परियोजना है। संस्था प्रबंधन समितियां वित्तीय एवं प्रचालन स्वायत्ता के साथ **आईटीआई में दिए जा रहे कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य** करेंगी।
- उपरोक्त दोनों ही परियोजनाएं **डीपीआर की अपनी अंतिम अवस्था में हैं** और **इनका कार्यान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा।** इस अवस्था में इन्हें गति प्रदान करना और त्वरित कार्यान्वयन सुनिस्चित करना कठिन है।

5.13 प्रशिक्षण महानिदेशालय परिदृश्य में वर्तमान पहलें

डीजीटी डोमेन के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें पहले ही अनुमोदित एवं स्वीकृत की गई हैं:

- कौशल विकास हेतु पीपीपी मोड में 27 एटीआई, 8 नए आरटीवीआई, 3 नए आरडीएटी और एक केंद्र द्वारा वित्त-पोषित राष्ट्रीय संस्थान की आयोजना की जा चुकी है। इसमें डीजीटी के अंतर्गत 30 + केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय आबद्धताएं

कैनेडियन कम्यूनिटी कॉलेज तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से भारत में "स्किल एकेडमीज ऑफ एक्सेलेंस" के अवसर पर बोलते हुए ओंतरियो सरकार के आर्थिक विकास, रोजगार तथा अवसंरचना मंत्री श्री ब्रॉड डुगाईड। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा श्री जयंत कुष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीसी भी उपस्थितत हैं।

6. अंतरराष्ट्रीय आबद्धताएं

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय विश्व भर में विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग के द्वारा कौशल विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये सहयोग विस्तृत रूप से चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं: अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट व्यवहारों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीय मानकों को निर्दिष्ट करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और भारत के कौशल प्रशिक्षण्या पारिस्थितिकीय प्रणाली में मौजूदा संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना। मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख एजेंसियां जैसे कि प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के जरिए इन भागीदारों को संचालित करती हैं।

विगत वर्ष से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ सहयोग में रूचि व्यक्त की है और कुशल भारत मिशन को समर्थन दिया है। यूके, जर्मनी तथा सिंगापुर जैसे देशों, जो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में वैश्विक लीडर समझे जाते हैं, ने सर्वोत्कृष्ट व्यवहारों की भागीदारी करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ सहयोग की पेशकश की है। इसके अलावा, अफगानिस्तान, मालवीय, बांग्लादेश एवं भूटान जैसे कुछेक देश कौशल प्रशिक्षण में भारत के अनुभव से समझने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे और वे अपने संबंधित देशों में इसे लागू करना चाहते हैं।

विगत वर्ष से इस क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों एवं वचनबद्धताओं का ब्योरा निम्न प्रकार है:

6.1 यूनाइटेड किंगडम

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्कील्स, यूके के बीच अप्रैल, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और यूकेआईईआरआई-।। के अंतर्गत अनेक कार्यशालाओं आदान-प्रदान दौरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, यूके मानकों के साथ भारतीय प्रशिक्षण मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु भारतीय क्षेत्र की 15 कौशल समितियों और उनके यूके के प्रतिपक्षों के साथ सहयोग किए गए हैं। येकेआईईआरआई-।। 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालयइन भागीदारियों को बनाए रखने तथा देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को त्वरित गति से बढ़ावा देने हेतु यूकेआईईआरआई-।।। पहल में प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है।

6.2 जर्मनी

कौशल विकास विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 में होनोवर मेस्सी में भाग लिया था तथा कौशल मंडप की स्थापना की। अप्रैल, 2015 में , जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक्स कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अक्तूबर, 2015 में ऐसे अनुक क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें औद्योगिक समूहों में कार्यस्थल आधारित क्षेत्रों का विस्तार करने, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उन्नयन, मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन आदि शामिल है। दोनों पक्षों द्वारा आगे बढ़ने के लिए रोडमैप पर सहमति हुई है और संयुक्त क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

6.3 आस्ट्रेलिया

इस सहयोग को संचालित करने के लिए एनएसडीसी बड़ी संख्या में आस्ट्रेलियाई संस्थाओं के साथ कार्य करता है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एनएसडीसी एवं टीएएफई एसए और हेरॉल्ड के बीच जनवरी, 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आस्ट्रेलिया के कौशल ईको-सिस्टम तथा भारत के लिए डाक्यूमेंट लेसन्स को समझने हेतु कौशल प्रशिक्षण पर कार्य कर रहे प्रमुख अधिकारियों के लिए आस्ट्रेलिया के लिए एक अध्ययन दौरे को आयोजित किया गया।

एनएसडीसी ने अप्रैल, 2015 में भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी के कनाडा दौरे के दौरान कनाडा के कुछ प्रमुख कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापनों में भारत में सर्वोत्कृष्ट व्यवहारों में भागीदारी करने, मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तथा नए उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन करने हेतु ध्यान संकेंद्रित किया गया।

6.4 यूरोपियन यूनियन

भारत सरकार की कौशल विकास नीति के कार्यान्वयन में जून, 2014 से जून, 2016 तक सहयोग प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग के जरिए अनेक अध्ययन दोरे, प्रतिनिधि मंडल दौरे और तकनीकी सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। यह परियोजना पूरी होने वाली है।

6.5 फ्रांस

फ्रांस और भारत में अर्हता रजिस्टर विकसित एवं कार्यान्वित करने के ज्ञान आधान को समझने हेतु एनएसडीए और सीएनसीपी (कमीश्न नेश्नले डी ल सर्टीफिकेशन प्रोफेशनले-सीएनसीपी) के बीच जनवरी, 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

6.6 यूएई

अर्हताओं की परस्पर मान्यता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा नेशनल क्वालिफिकेशन्स अथारिटी, यूएई के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग से विशेषरूप से उन भारतीयों को लाभ होगा, जा विदेशों में कार्य करने के इच्छुक हैं।

6.7 चीन

चीन के साथ मई, 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठक अप्रैल, 2015 में होनी सुनिश्चित है।

संगठनात्मक ब्योरे

साउ पाउलो, ब्राजील में विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारतीय दल

7. संगठनात्मक ब्योरे

मंत्री कार्यालय

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी	811	23450811, 23070999-निवास 23070300-निवास	rprudy.office@gmail.com
2.	श्री कुंदन कुमार मंत्री के निजी सचिव	106 & 823	23450823, 9599823100 09431632885	kundan_ias@yahoo.com
3.	श्री संदीप प्रसाद अपर निजी सचिव	121	23450845, 09818254553	sm.prasad@nic.in
4.	श्री किशोरी लाल सचदेवा निदेशक	115	23450845, 9811961226	klsachdeva@yahoo.com
5.	श्री अनिल वर्मा मंत्री के सहायक निजी सचिव		23070300, 23070999 9868252153	anilverma.ba@gmail.com
6.	श्री बृज भूषण सिंह मंत्री के सहायक निजी सचिव		23070999, 23070300 9868207095	
7.	श्री प्रशांत टेकी मीडिया सलाहकार	116	23450811, 9818449878	Prashant.teki@gmail.com
8.	श्री वैभव गुप्ता परामर्शदाता		23070999, 23070300, 09968068736	vaibhavgpt@gmail.com
9.	श्री प्रशांत चतुर्वेदी मंत्री के प्रथम निजी सहायक	105	23450845, 08800636899	prashant.chaturvedi@nic.in
10.	श्री धनंजय कुमार तिवारी मंत्री के द्वितीय निजी सहायक		23070999, 23070300 9818180908	
11.	श्री रवि कपूर मंत्री के निजी सहायक		23070999, 23070300 9810917146	
12.	श्री रमाकांत सिंह मंत्री के निजी सहायक		9431008231	
13.	श्री एस. भंडारी मंत्री के निजी सहायक	100	9717660073	
14.	श्री अमित मिश्रा मंत्री के निजी सहायक		23070999, 23070300 98910214070	
15.	श्री मनोज गौड़, निजी सचिव के निजी सचिव	852	23450852, 09810116098	manoranjan1962@gmail.com
16.	श्री सुंदर लाल शर्मा प्रवर श्रेणी लिपिक	845	23450845, 09013626381	sunderlalsharma.1955@gmail.com

सचिव कार्यालय

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री रोहित नंदन, आईएएस सचिव		23450837 / 39, 09560876677	secy-msde@nic.in
2.	श्रीमती पदमा मेनन निजी सचिव	839	23450839, 9868867068	padma.menon@nic.in
3.	श्री मुकेश कुमार निजी सचिव	837	23450837, 9810723465	m.kumar@nic.in
4.	श्री शाहनवाज जुल्क्यूरनैन स्टेनो ग्रेड 'डी'	837	23450829, 8467879897	shahnawazara@gmail.com

अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्रीमती किरन सोनी गुप्ता, आईएएस 1985 (राज.) अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार		24366414 9167799333	kiran.soni.gupta@gmail.com
2.	श्रीमती बिमला, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव		2436 6414, 9873925247	-तथैव-
3.	श्री कैलाश निजी सचिव		2436 6414, 9873925247	khowalkailash@gmail.com

वरिष्ठ सलाहकार

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	डॉ. सुनीता छिब्बा, आईईएस वरिष्ठ सलाहकार		23062392, 9810231551	sunita.hub@nic.in
2.	श्री सुनील कुमार स्टेनो ग्रेड 'डी'		23062392, 23062394 9911257084	sunil.kr92@gov.in

संयुक्त सचिव (1)

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री पवन कुमार अग्रवाल, आईएएस संयुक्त सचिव & डीजी, एनएसडीए	813	23450838 /51, 9810806606 25788001-NSDA	pagarwal.dsde@gmail.com agarpk@nic.in
2.	श्री संजीव कुमार प्रधान निजी सचिव	851	23450851/38, 9968316538	sanjeev_msde@hotmail.com
3.	सीताराम कल्याण निजी सचिव	851	23450851/38, 9717673126	sr.kalyan@nic.in

संयुक्त सचिव (2)

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस संयुक्त सचिव	828	23450828, 9711117660	Js-msde@gov.in
2.	श्री नरेंद्र दत्त निजी सचिव	831	23450831, 9868228453	naren.datt@nic.in

संयुक्त सचिव (3)

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	कु. ज्योत्सना सितलिंग, आईएफएस संयुक्त सचिव	827	23450827, 9717766074	jsitling@gov.in
2.	श्री के.वी. सिद्धार्थन परामर्शदाता	832	23450832, 9650447732	sidh.kailath@nic.in

निदेशक/उप सचिव/सहायक निदेशक

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री जय प्रकाश सिंह निदेशक	824	23450824, 9582501000	jpsips@gov.in
2.	डॉ. बी.के. रे, उप सचिव	829	23450829, 9871255117	bkray.msde@gmail.com bkray@nic.in
3.	कु. खायी लिशिन्गम सहायक निदेशक		09717104326	

अवर सचिव

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री जी.के. चौधरी	862	23450862, 9818117814	gk.choudhary@nic.in
2.	श्री प्रवीण जरगर	850	23450850, 8130358125	parveen.jargar@nic.in parveenjargar@gmail.com
3.	श्रीमती प्रभा शर्मा अवर सचिव (प्रशासन)	836	23450836, 9811419564	prabhasharma99@yahoo.com prabha.s72@gov.in
4.	श्री ए.एस. मुरलीधरन	867	23450816, 9891894788	Murali.nair65@yahoo.com
5.	श्री विनीत सक्सेना, अवर सचिव (बजट)		23766704, 9911816498	श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
6.	श्री देव प्रकाश सिंह, अवर सचिव (प्रशासन)		23714992, 9868908351	dpsingh235@gmail.com

अनुभाग अधिकारी

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री शंकर पंडित	816	23450816, 9999229256	shankar.pandit@nic.in
2.	श्री जय प्रकाश	836	23450836, 9718387375	jay.prakash20@gov.in

सहायक

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री विरेंद्र कुमार	862	23450862, 9911002201	virender.kumar86@nic.in
2.	श्री सुधीर कुमार	850	23450850, 9210653105	sudhir.kr82@gov.in
3.	श्री प्रशांत भारद्वाज	846	23450846, 9990909035	prashant.bhardwaj78@nic.in
4.	श्री जगत लाल	847	23450847, 9990965262	jagat.lal@nic.in
5.	श्री देवेन्द्र प्रसाद	867	23450847, 9891679346	devender.p@nic.in
7.	श्री अक्षय सोलंकी	850	9711434321	
8.	श्री अनुज दलाल		9215557622	
9.	श्री प्रहलाद कुमार मीना		8003823891	

परामर्शदाता

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	आयशा खान	815	9716156984	akhan.msde@gmail.com
2.	कु. शिवी आनंद	815	23450815, 8447599315	shivi.a@gov.in
3.	डॉ. चार्वी मेहता	815	23450815, 9811651127	charvi.mehta26@gmail.com charvi.mehta@gov.in
4.	कु. ईशिता जोशी	815	23450815, 8130991225	ishita.joshi@gov.in
5.	डॉ. दिव्या नांबियार	848	23450848, 8800312819	divyanambiar1@gmail.com
6.	श्री यश पाल	847	23450847, 9971956375	ypsp1956@gmail.com yp.singh14@nic.in
7.	श्री एम.एम. कुमार मलहोत्रा	853	23450853, 9313997599	malhotrammk@hotmail.com
8.	श्री शुभम तोमर	827	23450827, 9717794366	shubham.undp@gmail.com
9.	श्री अभय रंजीत	851/838	23450851/38, 7838693476	abhay.ranjit@gmail.com
10.	श्री तुतन अहमद		9899088973	tutanahmed@gmail.com
11.	श्री देवराज		9560083159	
12.	श्री विक्रमाजीत पांडे		9910646474	vikramajeetpandey@gmail.com

एनआईसी

क्र. सं.	नाम	इंटरकॉम	लैंडलाइन एवं मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
1.	श्री विश्वजीत वी. रिंगे तकनीकी निदेशक	802	23450802, 9312319379	
2.	श्री अनिल कुमार कश्यप वैज्ञानिक डी (पीएसए)	833	23450833, 9868547045	kashyap@nic.in
3.	श्री रोहन कुमार शर्मा सिस्टम इंजीनियर	833	23450833, 9716031367	rohan.sharma26@gov.in

अनुबंध - I और II

प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित प्रशिक्षार्थी

अनुबंध - I

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कौशल विभाग के लिए स्कीमों का ब्योरा

क्र.सं.	मंत्रालयों/विभागों के नाम	स्कीम का नाम
1.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
		शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)
		शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
		शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
		कौशल विकास पहल योजना (एसडीआईएस)
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
		ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस)
3.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)
4.	वस्त्र मंत्रालय	एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीआई)
5.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - फार्मर्स फील्ड स्कूल
		एग्री क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना
		एक्सटेंशन रिफॉर्म्स - खेत स्कूल
		कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)
6.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपीएस)
		उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईडीपीएस)
		प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडी पी एस)
		प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना (अति योजना)
		कौशल उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार और महिला कॉयर योजना (एमसीवाई)
7.	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय	क्षमता निर्माण की योजना के लिए सेवा प्रदान करता है
		हुनर से रोजगार तक पहल
8.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण
		पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना
		ओपन स्कूलिंग दूरी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान (एवीआई)
		जन शिक्षण संस्थान
9.	दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए योजना
		डिजिटल इंडिया के लिए ईएसडीएम में कौशल विकास
10.	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	आदिवासी युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
11.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) के लिए समर्थन
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता
14.	गृह मंत्रालय	उड़ान
15.	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	सीखो और कमाओ
		नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना)
16.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	विकलांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता
		विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए (एससीएसपी)
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
		राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
17.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	एनआईएफटीएम और आईआईसीपीटी के तहत कौशल विकास कार्यक्रम
18.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय संस्थान

अनुबंध - II

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित व्यक्तियों संबंधी रिपोर्ट (दिसंबर 2015 तक की स्थिति के अनुसार अद्यतन)

क्र.सं.	मंत्रालय/संगठन	2015-16 के लिए दिसंबर 2015* तक संचित उपलब्धि संबंधी रिपोर्ट	
		संख्या	वार्षिक लक्ष्य का %
1	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	1017363 1395104	42.39% 111.61%
2	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (उद्यमशीलता प्रशिक्षण)	363639	143.90%
3	कृषि मंत्रालय	569214	35.58%
4	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (पीएमकेवीवाई से अलग परियोजनाएं)	685421	18.73%
5	ग्रामीण विकास मंत्रालय	301992	57.20%
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	251130	45.09%
7	उच्च शिक्षा विभाग	162213	33.24%
8	इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	142153	39.49%
9	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	108987	36.25%
10	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	4,094	12.40%
11	वस्त्र मंत्रालय	120368	30.09%
12	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	31,050	35.77%
13	पर्यटन मंत्रालय	69,092	69.09%
14	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	30,480	53.47%
15	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	-	-
16	गृह मंत्रालय	3,564	50.91%
17	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	-	
18	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	37,730	47.16%
19	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	44,594	30.97%
20	भारी उद्योग विभाग	12,671	31.68%
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1437	35.93%
22	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	823	74.28%
	कुल	**5353119**	**42.99%**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

दूसरा तल्ला, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
दूरभाषः 011 23450841 ई–मेलः contactmsde@gov.in
www.msde.gov.in • www.skilldevelopment.gov.in